मैनुअल–08

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण		पृ0सं0
1	**लोक प्राधिकरण से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण**		
2	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद ननूरखेड़ा, तपोवन देहरादून।	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	
		कृत्य और कर्त्तव्य	
		स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
		कार्यकारिणी समिति का विस्तृत विवरण	
		मुख्य कार्यालय तथा अन्य शाखाओं के पते	
3	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	
		सम्बद्ध संस्था की भूमिका	
		बोर्ड के अधिकार	
		संस्था का स्वरूप एवं सदस्य	
4	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर, (टिहरी) उत्तराखण्ड।	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	
		संस्था की भूमिका	
		स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
		एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड में स्थापित विभागों को विवरण	
		मुख्य कार्यालय तथा अन्य शाखाओं के पते	
		निर्णय करने की प्रक्रिया	
5	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	
		संस्था की भूमिका	

		स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
		एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड में स्थापित विभागों को विवरण	
		मुख्य कार्यालय तथा अन्य शाखाओं के पते	
		निर्णय करने की प्रक्रिया	

8.1 लोक प्राधिकरण से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण –

लोक प्राधिकरण (निदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत निम्नलिखित बोर्ड, परिषद, समितियों एवं अन्य निकाय हैं,
जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

(A). उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून।

(B). उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।

(C). राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर, टिहरी।

(D) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा, देहरादून।
(E) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।

A:- उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद ननूरखेड़ा, तपोवन, सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

1– सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता– उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

2– सम्बद्ध संस्था का प्रकार –– परिषद
3– सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय–

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन के समय उत्तराखण्ड के जनपदों में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1–5) हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –III संचालित था। उक्त कार्यक्रम हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, एवं बागेश्वर में वर्ष 2000 से संचालित था। 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में

आने के उपरान्त राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार से कार्यक्रम को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा संचालित किये जाने के सन्दर्भ में निवेदन किया। उक्त हेतु मानव संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 27 नवम्बर, 2000 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में डी0पी0ई0पी0–III के संचालन के लिए "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद" का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 2001 को किया गया। परिषद द्वारा डी0पी0ई0पी0–III सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता प्रकोष्ठ को संचालित किया जा रहा है।

क्षेत्राधिकार– इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश है।

सोसायटी कार्यालय– पंजीकृत परिषद का कार्यालय ननूखेड़ा, पो0ओ0–तपोवन, सहस्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित है।

परिषद के उद्देश्य– परिषद स्वायत एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में शैक्षिक परियोजनायें– जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III तथा सर्व शिक्षा अभियान जो भारत सरकार द्वारा प्रयोजित हैं को उत्तराखण्ड में संचालित किया जायेगा।

परिषद का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, व्यवसायिक, कम्प्यूटर, अनौपचारिक, वैकल्पिक व नवाचारी, साक्षरता कार्यक्रम, जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों से समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में परिवर्तन लाना है। इन क्षेत्रों में उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिषद निम्नलिखित क्रियान्वित करेगी–

1– शिक्षा के सार्वभौमिकरण को एक संगठित एवं समन्वित कार्यक्रम के रूप में अपनायेगी।
2– युवाओं के लिए सत्त् शिक्षा और कौशल विकसित कार्यक्रम।
3– महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने हेतु बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
4– समाज के अपवंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं को समान शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे।
5– 6–14 आयु वर्ग के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता उपकरण सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

6–शैक्षिक गतिविधियों में संस्कृति, पर्यटन, संवादों का आदान–प्रदान, कम्प्यूटर तकनीकी, विज्ञान और पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय के मूल्यों पर विशेष बल दिया जायेगा।

कृत्य और कर्त्तव्यः– उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद कार्यालय विभिन्न संस्थाओं, एजेन्सी और व्यक्तियों के संयोग और समर्थन से निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्यों का निर्वहन करता है–

1– परिषद द्वारा बिन्दु–4 में दर्शाये गये विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त आवश्यक गतिविधियाँ क्रियान्वित की जायेगी।

2– महिला तथा बाल कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, जल निगम तथा इसी प्रकार की अन्य स्वायतशासी संस्थाओं, केन्द्र तथा राज्य सरकार की सहभागिता से प्रशासकीय तंत्र का वांछित सशक्तिकरण किया जायेगा।

3– परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना जिला टास्क फोर्स, जिला विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर पर व्यवस्थायें सुनिश्चित कर आवश्यक शक्तियों का हस्तान्तरण किया जायेगा ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

4– शिक्षा के उन्नयन तथा विकास हेतु प्रतिबद्ध शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, अध्यापकों और व्यक्तियों का सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी।

5– प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में प्रभावकारी विकेन्द्रीयकरण किया जायेगा और इसके लिए समुचित औपचारिक ढांचे की भी व्यवस्था की जायेगी।

6– परिषद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापकों की सृजनात्मक सहभागिता प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

7– प्राथमिक विद्यालयी, अनौपचारिक, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा व्यवस्था में प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।

8–उत्तरदायी और लचीली जनशक्ति नियोजन के लिए समुचित आँकड़े और एजुकेशन मैनेजमेंट एण्ड इन्फॉरमेशन सिस्टम को व्यवस्थित किया जायेगा ताकि नामांकन और समुचित अध्यापक छात्र अनुपात बनाया जा सके।

9– शिक्षा तथा शैक्षिक प्रबन्धन से सम्बन्धित शोध और अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

10– तकनीकी सन्दर्भ सहायता को सुनिश्चित किया जायेगा।

11– राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

12– शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमों हेतु सेमिनार, सिम्पोसिया, कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

13– शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना तथा उनका शैक्षिक क्रियाओं में प्रयोग किया जायेगा।
14– प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराज्यीय संस्थाओं के साथ सहयोग, समन्वयन तथा अन्तर सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

15– सचल सामुदायिक पुस्तकालयों का स्कूल, कॉलेज में संचालन हेतु क्रमबद्ध व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा।
16– परिषद में शैक्षिक, तकनीकि, प्रबन्धकीय व प्रशासकीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा परिषद के आदेशों और नियमों, के अनुसार उनका भुगतान किया जायेगा।
17– परिषद के कार्यों के संचालन हेतु नियमों, आदेशों व उपनियमों को बनाना तथा समय–2 पर आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन किया जायेगा।
18– अनुदान की धनराशि प्रतिभूति और किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को लेना तथा देना और परिषद से सम्बन्धित किसी स्थायी निधि वाले ट्रस्ट का प्रबन्धन, कोष और दान को ग्रहण किया जायेगा।

19– स्वीकृत बजट का व्यय वित्तीय नियमों, औचित्य एवं मितव्ययता के साथ किया जायेगा।
20– परिषद के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों को तैयार किया जायेगा।
21– परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्रियान्वयन हेतु चल तथा अचल सम्पत्ति को क्रय करना, किराये, लीज पर लेना, निर्माण करना तथा उस पर निर्माण एवं पुर्नर्निमाण किया जायेगा।
22– परिषद द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन सभी कार्य उपायों को अपनाया जायेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत होते हों।

4– संबद्ध संस्था की भूमिका – कार्य कारिणी

5– स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य– सोसायटी पंजीकरण एक्ट (एक्ट न0 21 ऑफ 1860) सन् 1860 के अन्तर्गत परिषद की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय, पदनाम जो कि परिषद के नियमों और आदेशों में कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, का विवरण निम्नवत् हैं–

(i) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष पदेन
(ii) सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – उपाध्यक्ष पदेन
(iii) सचिव अथवा उनके द्वारा नामित वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य पदेन
(iv) सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य पदेन
(v) अपर सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड – सदस्य पदेन
(vi) शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड – सदस्य पदेन।

(vii) अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड–
सदस्य पदेन

(viii) संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड –सदस्य पदेन

(X) राज्य परियोजना निदेशक सभी के लिए शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड–
–सदस्य सचिव पदेन।

कार्यकारिणी समिति का विस्तृत विवरण

(i)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष पदेन
(ii)	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष पदेन
(iii)	सचिव अथवा उनके द्वारा नामित एक सदस्य वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
(iv)	सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
(v)	अपर सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
(vi)	शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
(vii)	अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
(viii)	निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित एक सदस्य महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
(ix)	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय क्रम में नामित सदस्य जिला टास्क फोर्स के दो अध्यक्ष	
(x)	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय क्रम में नामित जिला परियोजना समिति के दो अध्यक्ष	सदस्य
(xi)	केन्द्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य	सदस्य
(xii)	राज्य सरकार द्वारा नामित दो अकादमिक/तकनीकि संस्थाओं के निदेशक/प्रतिनिधि	सदस्य
(xiii)	केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नामित दो शिक्षा विद् जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य के प्रति जाने जाते हों	सदस्य
(xiv)	केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नामित दो महिलायें– जो महिलाओं के विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य के प्रति जाने जाते हों	सदस्य

(xv) स्वयं सेवी संस्थाओं के नामित दो प्रतिनिधि जो :–

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता के क्षेत्र में परियोजना कार्यक्रमों के संचालन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेसन एक्ट 1860 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। कार्यक्रम के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु परिषद में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है

समितियों का विवरण–

1. परिषद की साधारण सभा

सभापति	–	मा0 मुख्य मन्त्री, उत्तराखण्ड
उपसभापति	–	मा0 शिक्षा मन्त्री, उत्तराखण्ड
सदस्य सचिव	–	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

2.. कार्यकारिणी समिति (मुख्य समिति)

अध्यक्ष	–	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
उपाध्यक्ष	–	सचिव, शिक्षा

सदस्य सचिव – राज्य परियोजना निदेशक

3. कार्यक्रम समिति (उप समिति)

अध्यक्ष – सचिव,शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य सचिव – राज्य परियोजना निदेशक

4. वित्त एवं ग्राण्ट–इन–एड समिति (उप समिति)

अध्यक्ष– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य सचिव – राज्य परियोजना निदेशक

5. शोध सलाहकार समिति

अध्यक्ष – सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य सचिव – राज्य परियोजना निदेशक

6. राज्य सलाहकार समिति– निर्माण कार्य

अध्यक्ष – सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य सचिव – राज्य परियोजना निदेशक

7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति

अध्यक्ष – सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य सचिव – राज्य परियोजना निदेशक

6– मुख्य अधिकारी का नाम– राज्य परियोजना निदेशक

7– मुख्य कार्यालय तथा अन्य शाखाओं के पतेः–

(A) **राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के ननूरखेड़ा, तपोवन सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।**

(B) **अन्य शाखाओं के पतेः–**

क्र0सं0	जिला	कार्यालय	पता	फोननं0
01	हरिद्वार	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) हरिद्वार	जिला परियोजना कार्यालय (**SSA**) पुरानी कचहरी, देवपुरा हरिद्वार	227384
02	चम्पावत	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) चम्पावत	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** गोरल चौड़ रोड़, चम्पावत	230614
03	रूद्रप्रयाग	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) रूद्रप्रयाग	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** बद्री केदार टूरिष्ट लॉज, रूद्रप्रयाग	233943
04	बागेश्वर	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) बागेश्वर	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** तहसील रोड़, बागेश्वर	220653

05	नैनीताल	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** मल्लीताल, नैनीताल	232520
06	पिथौरागढ़	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** पिथौरागढ़	226881
07	अल्मोड़ा	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) अल्मोड़ा	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** जाखन देवी, अल्मोड़ा	237132
08	ऊधमसिंह नगर	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) रूद्रपुर	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** रूद्रपुर	241522
09	पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) पौड़ी	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** शिक्षा संकुल, पौड़ी	223872
10	टिहरी	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) टिहरी	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** टिहरी	233436
11	चमोली	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) चमोली	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** गोपेश्वर, चमोली	253363
12	उत्तरकाशी	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) उत्तरकाशी	जिला परियोजना कार्यालय **(SSA),** उत्तरकाशी	224318
13	देहरादून	जिला परियोजना अधिकारी (**SSA**) देहरादून	जिला परियोजना कार्यालय (**SSA**), मोथरोंवाला रोड़, देहरादून	2675227

8– बैठक की आवृति ?

साधारण सभा – वर्ष में एक बार।

कार्यकारिणी की समितिः– वर्ष में चार बार।

9– क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है। (हाँ)

10– क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किया जाता है। (हाँ)

11– क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्ध (नौ) के अधीन विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नवत् लोक सूचना अधिकारियों से आवेदन कर प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य/मुख्यालय स्तर	लोक सूचना अधिकारी	अपर राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
	अपीलेट अधिकारी	राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
जनपद स्तर (प्रत्येक जनपद)	लोक सूचना अधिकारी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी (एस0एस0ए0)
	अपीलेट अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 17–05–2003

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श हेतु राज्यपाल महोदय, राज्य शिक्षा सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	मा0 शिक्षा मंत्री जी	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा	सदस्य
(3)	राज्य सरकार द्वारा नामित छः ख्याति प्राप्त शिक्षाविद जिनमें से दो महिला सदस्य होंगी	सदस्य
(4)	राज्य की विधान सभा के दो सदस्य	सदस्य
(5)	राज्य की विधान सभा का एक सदस्य(जो नामित किया गया हो)	सदस्य
(6)	राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति द्वारा नामित एक–एक सदस्य	सदस्य
(7)	राष्ट्र के शिक्षा बोर्डों में से दो प्रतिनिधि (सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि)	सदस्य
(8)	राष्ट्रीय संस्थाओं के दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित (एन0सी0ई0आर0टी0, एन0आई0ई0पी0ए0 आदि)	सदस्य
(9)	राज्य के सचिवों में से दो सचिव, राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य
(10)	राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों में से एक (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(11)	महानगर पालिका का एक सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(12)	राज्य में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(13)	निदेशक,बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा	सदस्य/सचिव

2– उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

भवदीय
(एम0रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव

संख्या /बे0शि0/2003

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव शिक्षा,
देहरादून।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड
21–सुभाष रोड़, देहरादून।

मानव संसाधन विभाग देहरादूनः दिनांक 19 मार्च 2003

विषय :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक, सह–समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के पदो ंके सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्, देहरादून के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या/3792/2002–03/रा0प0नि0, दिनांक 17–1–2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरंचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस परियोजना से संबंधित 07 जनपदों के ब्लाक संसाधन केन्द्रों में प्रति ब्लाक संसाधन केन्द्र 01 समन्वयक (वेतनमान 6500–10,500) व 02 सह समन्वयक (वेतनमान 5500–9000) तथा प्रति संकुल संसाधन केन्द्र हेतु 01 समन्वयक (वेतनमान 5500–9000) के पदों को इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक अथवा पदो ंके भरे जाने के दिनांक के बाद जो भी बाद में हो, से दिनांक 31 मार्च 2010 ईसवी तक के लिए इस शर्त के साथ कि अनुवर्ती वर्षों में आय–व्ययक में इन पदो ंके वेतन भत्तों को वहन करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जाने एवं सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने प्रदान की है। इन पदों का इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है। इन पदों के धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो नियमानुसार अनुमन्य हो भी देय होंगे।

भवदीय
संजय कुमार
अपर सचिव

संख्या–245 / बे0शि0 / 2002

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
एवं शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड,
शिविर कार्यालय, देहरादून।

मानव संसाधन विभाग देहरादून : दिनांक 4 जनवरी 2003

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालय हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 779 / रा0प0नि0 / 2002–2003 दिनांक 22 जुलाई 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून व विभिन्न जिला परियोजना कार्यालयों में निम्नांकित पदों के उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने अथवा विधिवत् नियुक्ति तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 31.03.2003 तक के लिये शासनादेश में अंकित शर्तों के अधीन अस्थाई रुप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	12000–16500	01
2	विशेषज्ञ	8000–13500	01
3	समन्वयक	6500–10500	01
4	सह–समन्वयक	5500–8500	01
5	स्टेनों	5000–8000	01
6	कम्प्यूटर आपरेटर	5000–8000	02
		योग	**07**

चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के जिला परियोजना कार्यालय हेतु 56 पद (प्रति जनपद विवरण निम्नवत् है)

जिला परियोजना कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	जिला परियोजना अधिकारी (पदेन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)	8000–13500	01
2	जिला समनवयक (बालिका शिक्षा)	6500–10500	01
3	जिला समन्वयक (सामु0सहभागिता)	6500–10500	01
4	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	6500–10500	01
5	जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	6500–10500	01
6	सहायक वित्त एवं लेखााधिकारी	6500–10500	01
7	कम्प्यूटर आपरेटर	5000–8000	01
8	लेखाकार	5000–8000	01
		योग	**08**

2. इन सभी पदधारकों का वेतनादि सर्व शिक्षा अभियान परियोजना से ही आहरित किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों द्वारा वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य हो, देय होगें।

3. उक्त पदो के सृजन पर इस शर्त के साथ सहमति दी जाती है कि पद प्रथमत प्रतिनियुक्ति/रिडिप्लाइमेन्ट से शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में से तैनाती से भरे जायेंगे तथा जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अभ्यर्थी न मिले उन पर निर्धारित अवधि के लिए अनुबन्ध कर संविदा पर रखे जायेंगे। जिससे किसी प्रकार का आवर्तक व्यय परियोजना बन्द होने के उपरान्त राज्य सरकार पर न पड़े।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुदान–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, आयोजनागत–01, प्रारंभिक शिक्षा–800, अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनायें–0104–सर्वशिक्षा अभियान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नाम डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः 276/वि0सं04/2002 दिनांक 27–12–2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
(जे0पी0जोशी)
अनुसचिव

संख्या– /बे0शि0/2003

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड
21–सुभाष रोड़, देहरादून।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून : दिनांकः 11 मार्च 2003

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद देहरादून के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–1027/रा0प0नि0/2002–03 दिनांक 2 अगस्त, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित 4 जनपदों में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निम्नलिखित अस्थाई पदों को इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक अथवा पदों कों भरे जाने के दिनांक से जो भी बाद में हो, से दिनांक 31 मार्च, 2010 अथवा परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए इस शर्त के साथ कि अनुवर्ती वर्षों में आय–व्ययक में इन पदों के वेतन भत्तों को वहन करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जाने, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने प्रदान की है। इन पदों को इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है। इन पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो नियमानुसार अनुमन्य हों, भी देय होंगे।

क्र0सं0	जनपद का नाम	सहायक अध्यापक की संख्या वेतनमान रु0 4500–7000	सहायक अध्यापक की संख्या वेतनमान रु0 5500–9000
1	रुद्रप्रयाग	18	–
2	अल्मोड़ा	117	–
3	पौड़ी	91	153
4	चमोली	57	51
	पदों की संख्या का योग	283	204

2. उक्त पदो ंके सृजन पर होने वाला व्यय उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम हेतु उपलब्ध आय–व्ययक से किया जायेगा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 31 मार्च 2010 तक संचालित होना है। अतः उक्त पदा 31 मार्च 2010 तक ही सृजित माने जायेंगे। उक्त तिथि के उपरान्त परियोजना की समाप्ति पर यह सभी पद स्वतः ही राज्य सरकार के अधीन हो जायेंगे तथा इनका व्यय भार भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
3. प्रश्नगत सृजित होने वाले पदों को केवल प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य श्रोतों से भरा जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–332/वित्त अनु0–4, 2003 दिनांक 20.1.03 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या : 29 / बे0शि0 / 2003

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा
परिषद्, देहरादून।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून दिनांक 22–04–2003

विषयः– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के अन्तर्गत नवीन स्थापित प्राथमिक विद्यालयों के लिये प्रधानाध्यापक के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः– स0प0नि0 / 400 / प0स0 / 2002–03 दिनांक 3–2–2003 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–3 के संचालन हेतु परियोजना से संबंधित जनपदों में संलग्न विकास के अनुसार वेतनमान रु0 550–9000 में प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, के 44 अस्थाई पदों को शासनादेश के जारी होने के दिनांक अथवा पदों के भरे जाने के दिनांक से जो भी बाद में हो, से दिनांक 31 मार्च 2005 तक के लिये इस शर्त के साथ कि अनुवर्ती वर्षों में आय–व्ययक में इन पदो ंके वेतन भत्तों को वहन करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं। इन पदों को इसके पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है। इन पदो ंके पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते, जो नियमानुसार अनुमन्य हों भी देय होंगे।

2. उक्त पदों को भरे जाने के फलस्वरुप होने वाली परिणामी रिक्तियों को रिक्त रखा जायेगा तथा उतनी संख्या में और नये खोले गये विद्यालयों में प्रति विद्यालय न्यूनतम 02 अध्यापक के सिद्धान्त के आधार पर एक पद कर शिक्षा मित्र को नियमानुसार रखा जायेगा।
3. प्रधानाध्यापक के सृजित पदों पर प्रोन्नति से नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक के वेतन की धनराशि का व्यय बेसिक शिक्षा के आयोजनेत्तर पक्ष से पूर्ववत् वहन किया जाता रहेगा। प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति से वेतन निर्धारण के फलस्वरुप वेतन में देय वृ0 (इन्क्रीमेन्टल सेलरी) एवं शिक्षा मित्रों के मानदेय पर होने वाले व्यय का वहन जिला प्राथमिक शिक्षा ही संचालित कार्यक्रम–3 से किया जायेगा। यह कार्यक्रम सन् 2005 तक के लिये संचालित हैं, अतः उक्त पद मार्च, 2005 तक ही सृजित माने जायेंगे और तत्पश्चात परियोजना की समाप्ति पर यह सभी पद स्वतः ही राज्य सरकार के अधीन बेसिक शिक्षा–3 में समायोजित माने जायेंगे, तथा इनका व्यय भार भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–233 / वि0अनु0–4 / 03 दिनांक 19–4–03 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(जे0पी0जोशी)
अनुसचिव

संख्या : /बे0शि0/2003

सेवा में,

संजय कुमार
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा
परिषद, 21 सुभाष रोड़,
परेड ग्राउण्ड, देहरादून।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून दिनांक 28–05–2003

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालयों हेतु सृजित पदों की निरन्तरता जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक /रा0प0नि0/स0शि0अ0/297/2003–04 दिनांक 10–5–2003 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–245/बे0शि0/2003 दिनांक 4–1–2003 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयोजनागत पक्ष में सृजित निम्नलिखित अस्थाई पदों की दिनांक 1–472003 से 29–2–2003 तक की अवधि के लिए निरन्तरता बनाये रखने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करतें हैं कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इस अवधि के पूर्व ही समाप्त न कर दिये जाय।

राज्य परियोजना कार्यालय–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	12000–16500	एक
2	विशेषज्ञ	8000–13500	एक
3	समन्वयक	6500–10500	एक
4	सह समनवयक	5500–8500	एक
5	स्टैनों	5000–8000	एक
6	क्म्प्यूटर आपरेटर	5000–8000	दो
		योग	**सात**

चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के जिला परियोजना कार्यालयों हेतु 56 पद (प्रति जनपद विवरण निम्नवत् है।)

जिला परियोजना कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	जिला परियोजना अधिकारी	8000–13500	01
	(पदेन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)		01
2	जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)	6500–10500	01
3	जिला समन्वयक (सामु0सहभागिता)	6500–10500	01
4	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	6500–10500	01
5	जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा	6500–10500	01
6	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	6500–10500	01
7	कम्प्यूटर आपरेटर	5000–8000	01
8	लेखाकार	5000–8000	01
		योग	08

2 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक के अनुदान सख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–2202–समान्य शिक्षा–आयोजनागत–01, प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजनायें–0104–सर्व शिक्षा अभियान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– के नाम डाला जायेगा।

भवदीय
(संजय कुमार)
अपर सचिव

B. उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

1. सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :–

उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामगनर, नैनीताल।

2 सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

परिषद

3 सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचयः– इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना के लिए अधिनियम उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग, देहरादून के आदेश संख्या 685/माध्यमिक/2002 दिनांक 12–07–2002 की अधिसूचना के अधीन जो उत्तराखण्ड राज्य में यथावत लागू है। उत्तरांचल में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा की पद्धति के विनियम और पर्यवेक्षण तथा उसके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का स्थान लेने के लिए एवं विभागीय परीक्षाओं का संचालन करने के लिए एक परिषद् की स्थापना की गई है।

अतः एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता हैः जिसका नाम विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 है।

4:– सम्बद्ध संस्था की भूमिकाः– कार्यकारिणी, परामर्शदात्री एवं प्रबन्ध कारिणी।

बोर्ड के अधिकारी /कर्मचारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 द्वारा प्राविधानित नियमों एवं उप नियमों के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में वर्णित नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षा से संबंधित सम्पूर्ण कार्य जिसमें परीक्षा केन्द्र निर्धारण से लेकर परीक्षा आयोजन, परीक्षाफल निर्माण तथा परीक्षाफल घोषित करने तक के कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की विवरणिका पृथक–पृथक प्रकाशित की जाती है, जिसमें विवरणिकायें मुख्य हैं–

1. परिषदीय परीक्षाओं के केन्द्र व्यवस्थापकों हेतु निर्देश
2. उप नियंत्रक, संकलन केन्द्रों हेतु निर्देश
3. केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन हेतु मुख्य नियंत्रक तथा उप नियंत्रक के लिए निर्देश।
4. पंजीकरण केन्द्र के अग्रसारण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश।
5. उप प्रधान सहायक परीक्षकों के लिए निर्देश।

<u>बोर्ड के अधिकार</u>

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होंगे अर्थात्–

(1) इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक स्तर की शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना।

(1–क) ऐसे पाठ्य–पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का, पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण।

(2) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की रचना, परिष्कार अथवा संशोधन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से अनुरोध करना,

(3) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करनाः–

(क) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों, या

(ख) जो अध्यापक हों, या

(ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों।

(4) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना, एवं शिक्षक प्रशिक्षण विषयक परीक्षाओं का संचालन करना;

(5) अपने द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(6) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(7) ऐसे शुल्क माँगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जांय ;

(8) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(9) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना अथवा सहयोग प्राप्त करना, जो बोर्ड अवधारित करे;

(10) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट माँगना;

(11) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बन्धित हो;

(12) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई माँगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(13) ऐसे अन्य समस्त कार्यों एवं बातों को करना, जो हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संगठित किये गये बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो।

5:– सम्बद्ध संस्था का स्वरूप एवं सदस्य – जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड अधिनियम 2006 में तथा इसके अधीन बने समस्त विनियमों में––

(क) **''बोर्ड''** का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल से है,

(ख) **''परीक्षा केन्द्र/केन्द्र''** का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियत की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि, परिसर भी सम्मिलित है,

(ग) **''निदेशक''** का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल से है,।

(घ) **''संस्था''** का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से है, और पाठ्यक्रम विहित करने के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से भी है, और जहाँ संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है, और 'संस्था के प्रधान' का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्राचार्य, प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक से है,

(ङ) **''शिक्षा अधिकारी''** का तात्पर्य, यथास्थिति जिला शिक्षा अधिकारी से है, और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन शिक्षा अधिकारी के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है, और जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत अपर जिला शिक्षा अधिकारी भी है,

(च) **''अन्तरीक्षक''** का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे,

(छ) **''विहित''** का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है,

(ज) **''मान्यता''** का तात्पर्य बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा तद्नुसार परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है,

(झ) **''मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक''** का तात्पर्य किसी मण्डल के प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक से है और इसमें मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के समस्त कर्त्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है,

(ञ) **''विनियम''** का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों से है,

(ट) **''राज्य सरकार''** का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है,

(ठ) **''केन्द्र अधीक्षक''** का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से है और उसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है,

बोर्ड का संगठन

3– (1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्––

(क) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रधान, जिनमें एक राजकीय (बालक) संस्था, एक राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्था और एक महिला संस्था के प्रधान हों;,

(ख) प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो प्रधान जिनमें एक महिला संस्था के प्रधान हों;

(ग) इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट चार शिक्षक, जिनमें दो महिला शिक्षक हों;

(घ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] विश्वविद्यालयों या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो प्राध्यापक;

(ङ) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;

(च) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;

(छ) मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;

(ज) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो सदस्य;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निर्धारित अवधि में विधान सभा, बोर्ड की सदस्यता के लिए सदस्यों का निर्वाचन न कर पाये तो राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के सदस्यों में से ऐसी सदस्यता के लिये नामांकन किया जा सकेगा–

(झ) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो व्यक्ति;

(ञ) संस्कृत का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक विद्वान;

(ट) उर्दू का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक विद्वान;

(ठ) उद्योग का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(ड) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड, पदेन;

(ढ) वित्त विभाग का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(ण) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक मनोवैज्ञानिक;

(त) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक जिला शिक्षा अधिकारी;

(थ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राचार्य;

(द) राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रधानाचार्य;

(ध) प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून, पदेन;

(न) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक

प्रतिनिधि;

(प) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तरांचल का अपर निदेशक, पदेन;

(फ) अपर शिक्षा निदेशक, मुख्यालय, शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल, पदेन;

(ब) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(भ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(म) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(य) बोर्ड का सचिव, पदेन, जो बोर्ड का सदस्य–सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए चार व्यक्तियों से अनधिक को बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकती है।

(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम–निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

सदस्य का हटाया जाना

3–(क) राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जिसने उसके मतानुसार, ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिए हानिकर हो।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

सदस्यों की पदावधि

4––(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे सदस्यों के पद की अवधि एक बार में 6 माह से अनधिक समय के लिए इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायेगा।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति

राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी।

प्रदेश स्तर पर शिक्षा सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, जिसके प्रजातान्त्रिक स्वरूप के द्वारा आम आदमी की बात बोर्ड को सूचित की जाती है। उत्तराखण्ड प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श हेतु राज्यपाल महोदय राज्य शिक्षा सलाहकार समिति के गठन के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या वी0आई0पी0 /08/माध्यमिक/2003 दिनांक 17 मई, 2003 में उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग संख्या 222/माध्यमिक/ 2004 देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2004 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है–

1. माननीय शिक्षा मंत्री जी	अध्यक्ष
2. राज्य सरकार द्वारा नामित	उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा	सदस्य
4. राज्य सरकार द्वारा नामित छः ख्याति प्राप्त शिक्षाविद जिनमें से दो महिला सदस्या होंगी	सदस्य
5. राज्य की विधान सभा के दो सदस्य	सदस्य
6. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य (जो नामित किया हो)	सदस्य
7. राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति द्वारा नामित एक–एक सदस्य	सदस्य
8. राष्ट्र के शिक्षा बोर्ड में से दो प्रतिनिधि (सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि) (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9. राष्ट्रीय संस्थाओं के दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित (एन0सी0ई0आर0टी0, एन0आई0ई0पी0ए0 आदि)	सदस्य
10. राज्य के सचिवों में से दो सचिव, राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य
11. राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों में से एक (राज्य सरकार द्वारा नामित) चक्रानुक्रम के आधार पर	सदस्य
12. महानगर पालिका का एक सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
13. राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
14. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य/सचिव

उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

6:– मुख्य अधिकारी का नाम :

श्री ए0के0 नेगी, अपर सचिव

7:– **मुख्य कार्यालय का पता :–** उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

एवं

अन्य शाखाओं के पते : शून्य।

8:– **बैठक की आवृति :**

बोर्ड में विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन का प्राविधान है तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हेतु समितियां गठित की जाती हैं और संबंधित विषयों पर समिति निर्णय लेती है।

9– **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?**

हाँ।

10:– **क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?**

हाँ।

11:– **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें।**

बैठक का कार्यवृत्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाता है। जनता को बैठक का कार्यवृत्त सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम रु0 10 के शुल्क के साथ दिया जा सकता है।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग
संख्या : 685 / माध्यमिक / 2002
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2002

अधिसूचना

विविध

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड, राज्य के संबंध में लागू विधि को आदेश द्वारा संशोधन के रुप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (अधिनियम संख्या–2, वर्ष 1921) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगा :–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ**

   (1) यह आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह आदेश शैक्षिक सत्र 2001–2002 से प्रभावी माना जायेगा।

2. **"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तराखण्ड पढ़ा जाना**

   उत्तर प्रदेश इण्टमीडिएट शिक्षा अधिनिमय 1921 में जहां–जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहां–वहां पर शब्द "उत्तराखण्ड" के रुप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से
एन0रवि शंकर
सचिव

संख्या 685(1) माध्यमिक / 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधीन सूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित करने तथा उसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(अमिताभ श्रीवास्तव),
अपर सचिव।

संख्या 685(2) / माध्यमिक / 2002 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक,माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
4. अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्डं
7. निदेशक, दूरदर्शन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

आज्ञा से

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

संख्या–400 / 2(260) / मा0सं0वि0 / 2001

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून : 26 सितम्बर, 2001

विषय :– उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की स्थापना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कृपया अपने अर्द्ध शा0पत्र.सं0 03 / 2001–2002 दिनांक 29–5–2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पूर्व से प्रचलित उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की भांति नवगठित उत्तराखण्ड राज्य में भी परीक्षाओं की सुचिता, शैक्षिक गुणवत्ता एवं प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड परीक्षा परिषद् की स्थापना किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि परीक्षा परिषद् में कार्यरत पदाधिकारियों के पदनाम पूर्व में प्रचलित पदनामों के अनुरुप स्वीकृत किए गये हैं। परीक्षा परिषद् का मुख्य कार्य परिषदीय परीक्षा, गृह परीक्षा एवं विभागीय परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाफल का प्रकाशन जिनकी सुचिता एवं गोपनीयता पर विशेष बल दिया जायेगा।

3– शिक्षा निदेशक परीक्षा परिषद् के पदेन सभापति होंगे। परीक्षा परिषद् का प्रस्तावित स्वरुप निम्नवत् है :–

प्रस्तावित पद

शैक्षिक पद	संख्या	वेतनक्रम	लेखा पद	संख्या	वेतनक्रम
सभापति	–	14300–18300	लेखाधिकारी	1	8000–13500
सचिव	1	12000–16500	लेखाकार / कंसोल आप0	1	5000–8000
अपर सचिव	1	10000–15200	सीनियर आडिटर	1	5000–8000
संयुक्त सचिव	2	8000–13500	सहा0लेखा0 / डा0इं0आ0	2	4000–6000
उप सचिव	1	6500–10500	आडीटर	2	4000–6000
सहायक सचिव	4	6500–10500	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2550–3200
सैक्शन प्रभारी / अधीक्षक ग्रेड–2	8	5000–8000	**योग**	**9**	
व0सहा0 / कंसोल आपरेटर	16	4500–7000			
वरिष्ठ लिपिक / सह कम्प्यू0आ0	12	4000–6000			

4– इस संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व से ही प्रचलित पदों के समायोजन तथा नये पदों के सृजन का प्रस्ताव यदि प्रस्तुत किया जाना हो तो अविलम्ब कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
एन0 रवि शंकर
सचिव

पृ0सं0 400 (1)2(260)/मा0सं0वि0/2001/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरंचल, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, शासन।
4. निदेशक एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, रुड़की।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गोपन (मंत्रि–परिषद्) अनुभाग के अ0शा0 पत्र संख्या 4/2/21/2001–सी0एक्स दिनांक 20–9–2001 के सन्दर्भ में। (दिनांक 15–9–2001 की सम्पन्न बैठक की मद संख्या–2)
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
एन0 रवि शंकर
सचिव

संख्या–2220 / मा0सं0वि0 / 2001

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव,
उारांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्,
रामनगर, नैनीताल।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 19 दिसम्बर, 2002

विषय :– उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल में पदों का सृजन।

महोदय,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की स्थापना शासनादेश संख्या–4009 / मा0सं0वि0 / 2001, दिनांक 26–9–2001 द्वारा की गई थी। अवएत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल के सफल संचालन हेतु निम्न अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान तथा संख्या में दिनांक 28 फरवरी, 2003 तक बशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें सृजन की स्वीकृति प्रदान करतें हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	2	3	4
1	सचिव	14300–18300	01
2	अपर सचिव	12000–16500	01
3	संयुक्त सचिव	10000–15200	02
4	उप सचिव	8000–13500	01
5	सहायक सचिव	6500–10500	04
6	सैक्शन प्रभारी / अधीक्षक ग्रेड–।।	5000–8000	08
7	वरिष्ठ सहायक / कंसोल आपरेटर	4500–7000	16
8	वरिष्ठ लिपिक / सहायक कम्प्यूटर आप0	4000–6000	12
9	आशुलिपिक / कम्प्यूटर आप0	4000–6000	02
10	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर आप0	3050–4590	32
11	ड्राइवर	3050–4590	04
12	दफ्तरी / आपरेटर	2610–3540	04
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2550–3200	24
	लेखा संवर्ग		
	लेखाधिकारी		
14	लेखाकार / कंसोल आप0	8000–13500	01
15	सीनयिर आडिटर	5000–8000	01
16	सहायक लेखाकार / डाटा इन्टरी आप0	5000–8000	01
17	आडिटर	4000–6000	02
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4000–6000	02
19		2550–3200	02
		योग	**120**

2– उक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे तथा पदों पर भर्ती यथासमय सेवा नियमावली प्रख्यापन के उपरान्त की जायेगी।

3– इस संबंध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2002–03 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक ' 2202–समान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–198–परीक्षायें–आयोजनेत्तर–04– माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—330 / वि0अ0—4 / 2002 दिनांक 18—12—2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
संजय कुमार
अपर सचिव।

संख्या 461(1) / माध्यमिक / 2002 / तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून / इलाहाबाद।
2. अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
3. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. कोषाधिकारी, नैनीताल / उप कोषाधिकारी—रामनगर, नैनीताल।
7. वित्त अनुभाग—4।

आज्ञा से
संजय कुमार
अपर सचिव

परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

संख्या : 827 / माध्यमिक / 2002

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक एवं बेसिक,
2 सुभाष रोड, देहरादून

शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 5–12–02 से 13–12–02

विषयः– उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा 2003 के परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा आयोजित वर्ष 2003 की परिषदीय परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं :–

1– **शहरी क्षेत्र–** (अ) शहरी क्षेत्र में 08 कि0मी0 की दूरी क अनतर्गत न्यूनतम 03 विद्यालय विद्यमान होने की स्थिति में इन समस्त विद्यालयों का परीक्षा केन्द्र क्रमशः एक कड़ी के रुप में चक्रीय क्रम में निर्धारित किया जाए। उदाहरणार्थ 04 केन्द्र होने की स्थिति में "ए" विद्यालय का केन्द्र "बी", "बी" विद्यालय का केन्द्र "सी", सी विद्यालय को केनद्र "डी" तथा "डी" विद्यालय का केनद्र "ए" निधारित किया जाए। इस प्रकार यह सुनिश्चत कर किया जाय कि दो विद्यालयों के केन्द्र आपस में परिवर्तित न हो।

(2) यदि ग्रामीण क्षेत्र में 08 कि0मी0 की दूरी पर मात्र दो ही विद्यालय ही हो तो उनके केन्द्र आपस में बदल दिये जायें तथाा10 प्रतिशत वाह्य कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाए।

2– ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्र–

(अ) यदि ग्रामीण क्षेत्र में 08 कि0मी0 की दूरी के अन्तर्गत न्यूनतम 03 विद्यामान हो तो उस स्थिति में शहरी क्षेत्र की तरह (अ) के अन्तर्गत प्रक्रिया अपनाई जाए।

(ब) यदि ग्रामीण क्षेत्र / पर्वतीय क्षेत्र में 08 कि0मी0 की दूरी पर मात्र दो विद्यालय ही हो तो उनके परीक्षा केन्द्र आपस में बदल दिए जाए, परन्तु बालिकाएं अपने ही विद्यालय (स्व–केन्द्र) से परीक्षा देंगी। इस स्थिति में बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा 75 प्रतिशत वाह्य कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाए।

(स) यदि ग्रामीण क्षेत्र / पर्वतीय क्षेत्र में 08 कि0मी0 की दूरी पर दूसरा विद्यालय न हो तो विद्यालय को स्व–परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। इस स्थिति में वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा 75 प्रतिशत वाह्य कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाए।

3– क्रमांक 1 / 2 के अतिरिक्त यदि वर्ष 2003 की परिषदीय परीक्षार्थियों के लिए कोई विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया जाए तो उनके विद्यालय के हाईस्कूल / इण्टर संस्थागत कक्षाओं को स्व–परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी। अन्य किसी भी विद्यालय के व्यक्तिगत / बालिका / बालक परीक्षार्थियों को अपने विद्यालय में परीक्षा केन्द्र की सुविधा किसी भी परिस्थिति में प्रदान न की जाय। व्यक्तिगत बालिकाओं को निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जा सकता है।

4– परीक्षा की सुचिता एवं सक्रिय नियंत्रण के उद्देश्य से किसी भी विद्यालय को केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाए।

5– अच्छी छवि एवं विवादहीन विद्यालय को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। निर्गत वर्षों में जिन विद्यालयों के विरुद्ध जिलाधिकारी, स्थानीय शिक्षा अधिकारी, वाह्य केन्द्र निरीक्षकों के द्वारा केन्द्र की शुचिता के संबंध में निरीक्षक आख्या एवं शिकायत की गई हो अथवा ऐसे विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य में कोई विवाद हो, उस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाए।

अथवा उत्तराखण्ड / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसी विद्यालय को भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के आदेश निर्गत किये हो अथवा किसी परीक्षा केन्द्र में नकल की घटना के कारण पुनः परीक्षा करायी गई हो ऐसे विद्यालयों को वर्ष 2003 की परिषदीय परीक्षा केन्द्र न बनाया जाए।

(8) राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक को केन्द्र व्यवस्थापक एवं आवश्यकता / मानकानुसार शत–प्रतिशत वाह्य कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की जाए।

(9) परीक्षार्थी के जनपद में ही उसका परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाए।

(10) एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को आबंटित किया जा सकता है।

(11) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों हेतु पंजीकरण केन्द्रों से परीक्षा दिलाये जाने का यथा संभव प्रयास किया जाए।

(12) ऐसे स्थान पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाए जो यातायात एवं संचार के साधनों से जुड़े हो, सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो, विद्यालय के बाहर दिवारी उपलब्ध हो ताकि परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा केनद्र पर वाह्य व्यक्ति प्रवेश न कर सकें एवं प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनायी रखी जा सके।

(13) परीक्षा केन्द्र पर 75 परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या का होना अनिवार्य है। किसी भी दशा में किसी भी परीक्षा केन्द्र पर 1200 से अधिक परीक्षार्थी आवंटित किये जाये तो ऐसे विद्यालय भवन को दो भागों में विभाजित कर, वो परीक्षा केन्द्र बनाये जाए। किसी भी दशा में किसी परीक्षा केन्द्र पर तम्बू, कनात अथवा नितान्त वैकल्पिक व्यवस्था करके परीक्षा आयोजित न की जाए।

(14) संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र की क्षमता आावेदन पत्रों को स्वीकार करते समय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चत किया जाय तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाय कि संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की संख्या विद्यालय की धारणा क्षमता/नियमित रुप से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अधिक न हो।

(15) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के समय प्रकाश, जल, शौचालय, फर्नीचर, प्राथमिक उपचार की सुविधा आदि को दृष्टिगत रखा जाये।

(16) वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बिना शासन की पूर्व अनुमति के परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। यदि शासकीय/अशासकीय विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु उपलब्ध न हो पाये तो विशेष परिस्थिति में वित्त विहीन प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

(17) एक ही प्रबन्ध तंत्र/प्रबंधक द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबंधक/प्रबंध तंत्र के अधीन संचालित अन्य विद्यालयों में किसी भी दशा में न बनाया जाये तथा इसी प्रकार किसी भी विद्यालय के संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को एक दूसरे के विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर पारस्परिक न आवंटित किये जाये।

(18) जनपद के चिन्हित स्थानों पर जहाँ भौगोलिक रुप विद्यालय दूरस्थ स्थानों पर है, उन विद्यालयों को विशेष परिस्थिति में सभा पति एवं सचिव शिक्षा के पूर्वानुमोदन से बालकों को भी स्वकेन्द्र आवंटित किया जा सकेगा।

(19) परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के प्रस्ताव में विद्यालय से केन्द्र की दूरी अक्षरशः नहीं अंकित की जाय। परीक्षा केन्द्र के विद्यालय का नाम कोड अवश्य लिखा जाय। जिस विद्यालय के बालक/बालिका को अलग–अलग परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया जाना हो उसे लाल स्याही से अलग–अलग अंकित किया जाय।

2–परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु जिला एवं मण्डल स्तर पर समितियां निम्नवत की गई है :–

<u>जनपद स्तरीय समिति</u>

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
जिले 02 बरिष्ठ प्रधानाचार्य	सदस्य

(जिनमें 01 ग्रामीण क्षेत्र से अवश्य हो)

जिस तहसील के केन्द्र के निर्धारण पर विचार किया जाय उसके परगना मजिस्ट्रेट (उप जिलाधिकारी) को भी बैठक में आमंत्रित किया जाय।

3– जनपदीय समिति प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की सम्पूर्ण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा। जिसमें अन्य विवरण के साथ विद्यालय में परीक्षार्थियों की क्षमता दूरी, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ परीक्षार्थियों के संबंध में परीक्षा केन्द्र की दूरी, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, परीक्षार्थियों की संख्या, सुरक्षा, प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता की सूचना जिला विद्यालय निरीखक अथवा प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित की जायेगी। जिला विद्यालय अपनी आख्या जिला स्तरीय सभी विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु एकरूप नीति अपनाई जाए।

संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव के रूप में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेंतु आयोजित बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित किया जायेगा।

मण्डल स्तरीय समिति–

निदेशक अध्यक्ष

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य सचिव
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	सदस्य
मण्डल के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य

परीक्षा केनद्र के निर्धारण हेतु मण्डल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा सदस्य सचिव रुप में कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा जिसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित किया जायेगा।

भवदीय
अमिताभ श्रीवास्तव
(अपर सचिव)

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक एवं बेसिक,
2 सुभाष रोड़, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 18 नवम्बर, 2002

विषयः— उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल द्वारा मान्यता एवं सी0बी0एस0ई0 /आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता तथ एंग्लो इण्डियन की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क की दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—उ0शि0 एवं प0प0/438/2002—03, दिनांक 10—9—2002 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, द्वारा प्रदत्त विभिन्न मान्यताओं तथा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता एवं कक्षा—1 से 8 तक की एंग्लोइण्डियन की मान्यता हेतु आवेदन शुक्ल की दरें तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत निर्धारित की जाती है :—

1. प्रथम बार हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क—	रु0 10,000/—
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता हेतु आवेदन शुल्क—	रु0 5,000/—
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता हेतु आवेदन शुल्क—	रु0 10,000/—
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क—	रु0 2,500/—प्रति विषय की दर से न्यूनतम रु0 5,000/—
5. सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 में सम्बद्धता हेतु अनापति निर्गत किये जाने के लिए आवेदन शुल्क	रु0 50,000/—
6. एंग्लो इण्डियन (कक्षा—1 से 8 तक की मान्यता) हेतु आवेदन शुल्क—	रु0 50,000/—

2— तद्विषयक पूर्ववत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

भवदीय
अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव।

संख्या 875(1)/माध्यमिक/2002/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, उत्तराखण्ड, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
3. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल—पौड़ी/कुमायूँ मण्डल— नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से
अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव।

प्रेषक,

पी0एल0शाह,
उपसचिव,
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखंड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 06 अक्टुबर,2009

विषय परिषद में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सदस्यों के रिक्त स्थानों पर नये सदस्यों का मनोयन करने के संबध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8577/अका0अनु0/ परि0परी0/2009–10 दिनांक 29 मई 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहना क निदेश हुआ है कि कृपया निम्नानुसार वर्णित श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले परिषद के सदस्यों हेतु अर्ह व्यक्तियों के नामांकन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

क्रम संख्या	धारा जिसके अन्तर्गत मनोनयन किया जाना है।	अर्हता	टिप्पणी
1	धारा 6–(1)(ख)	माध्यमिक संस्थाअें के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिस्ट तीन प्रधान	श्रीमती सुमन ब्याला, प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कारगी, देहरादूनकी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप यह स्थान रिक्त है।
2	धारा 6–(1)(घ)	माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार,द्वारा नाम निर्दिस्ट तीन शिक्षक तथा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक	श्रीमती परमेश्वरी देवी, स0अ0 कस्तूरबा गांधी क0वि0 टनकपुर चम्पावत की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप यह स्थान रिक्त है।
3	धारा 6–(1)(द)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक प्राचार्य तथा दो शिक्षक–प्रशिक्षक	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, प्राचार्य डायट लोहाघाट, चम्पावत की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप यह स्थ्ज्ञान रिक्त है।
4	धारा 6–(1)(ज)	मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रधानाचार्य	डा0 एस0के0राय, प्रधानाचार्य उत्तराखंड फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कालेज हल्द्वानी के उत्तराखंड राज्य से अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप यह स्थान रिक्त है।
5	धारा 6–(1)(य)	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली का उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	श्री ओम प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक मूल्यांकन,मुक्त विद्यालय नई दिल्ली के एन0आई0ओ0एस0 छोड़ देने के फलस्वरूप यह स्थान रिक्त है।

6	धारा 6–(1)(थ)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जिला शिक्षा अधिकारी।	श्री नरेन्द्र कुमार बहुगुणा स्थानान्तरण के फलस्वरूप अब जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नही है, सम्प्रति अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल के पद के प्रति कार्यरत है।
7 8	धारा 6–(1)(द)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्राचार्य तथा दो शिक्षक–प्रशिक्षकै	श्री मोहन सिंह नेगी स्थानान्तरण/पदोन्नति के फलस्वरूप अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य पद पर कार्यरत नही है। सम्प्रति संयुक्त निदेशक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय देहरादून के पद के प्रति कार्यरत है।
9	धारा 6–(1)(ध)	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रधानाचार्य।	डा0 जी0सी0बडोनी, प्रधानाचार्य, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नालापानी, देहरादून स्थानान्तरण/पदोन्नति के फलस्वरूप अब राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य नही है। सम्प्रति स्टाफ आफिसर, निदेशक विद्वालयी शिक्षा निदेशालय, देहरादून के पद पर कार्यरत है।

भवदीय

(पी0एल0शाह)
उपसचिव

उत्तराखंड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5
संख्या /xxiv–5/2011
देहरादूनः दिनांकः 23 मई 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 08 वर्ष 2006) की धारा 5 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या 201/xxvi–5/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा गठित, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद मे विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सदस्यों के रिक्त स्थानों पर निम्नलिखित नये सदस्यों का मनोनयन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्रम संख्या	**धारा जिसके अन्तर्गत मनोनीत सदस्यों के रिक्त स्थान पर नये सदस्यों को मनोनीत किया जाना है/कारण।**	**अर्हता**	**मनोनीत सदस्य का नाम**
1	धारा–6(1) (ख) श्रीमती सुमन ब्याला प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 कारगी, देहरादून के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप।	माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिस्ट तीन प्रधान	श्रीमती मंजू भारती, प्रधानाचार्या राजकीय कन्या इण्टर कालेज ऋषिकेश देहरादून।
2	धारा–6(1) (घ)श्रीमती परमेश्वरी देवी,स0अ0 कस्तूरबा गांधी क0वि0 टनकपुर, चम्पावत की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप	माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक तथा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक।	श्रीमती विद्या लोहनी, प्रधानाध्यापिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सितारगंज, उधमसिंहनगर।
3	धारा–6(1) (ज) डा0एस0के0राय प्रध्यापक उत्तराखंड फारेस्अ हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कालेज, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप।	मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक।	डा0 आर0सी0 पुरोहित, प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, उत्तराखंड फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कालेज, रामपुर रोड़ हल्द्वानी नैनीताल।
4	धारा–6(1) (झ) श्री मुन्ना सिंह चौहान, मा0 सदस्य, विधान सभा	राज्य विधान सभा के सदस्यों में से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट।	श्री जोगाराम टम्टा, मा0 सदस्य विधान सभा, गंगोलीहाट।

9– वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखंड शासन।
10–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखंड।
11–समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखंड।
12–महालेखाकार, उत्तराखंड।
13–समस्त कोषाधिकारी उत्तराखंड।
14– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड/सभापति, उत्तराख।ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
15–अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
16–अपर सचिव, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।

17अपर निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़/कुमाउ मण्डल, नैनीताल।
18—समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखंड।
19—कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखंड शासन।
20—एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, देहरादून।
21—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
अनुसचिव

उत्तराखंड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5
संख्या 201 / xxiv–5 / 2008
देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर 2008

अधिसूचना

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम,2008 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2008) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ज्ञात नाम से एक परिषद स्थापित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन उक्त परिषद को निम्नवत गठित करने को भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। तथा धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन यह अधिसूचित करते है कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का सम्यक रूप से गठन हो गया है–

(1) परिषद में एक सभापति और निम्नलिखित सदस्य होने अर्थात–
(क) निदेशक उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा

1–निदेशक, विद्यालयी शिक्षा पदेन सभापति

(ख) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य संस्कार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रधान

1–श्री पुरूषोत्तम सुन्दरियाल, प्रधानाचार्य रा0इ0का0 चौखटठा खाल (पौड़ी) सदस्य
2– श्री विजयपल सिह, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इ0का0 मायापुर हरिद्वार सदस्य
3–श्रमती सुमन ब्याला, प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कारगी, देहरादून सदस्य

(ग)प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिस्ट तीन प्रधान।

1–श्री यशवंत सिंह नेगी,प्र0अ0जू0हाई तेलपुरा देहरादून सदस्य
2–श्री बागेश्वर प्रसाद स0अ0 प्रा0वि0 पगनों जोशीमठ, चमोली सदस्य
3–श्रीमती मंजू कौशिक, प्रधानाध्यापक, हिमालयम एकेडमी सदस्य
जू0हा0 स्कूल, सेवला कला, चन्म्मणी देहरादून

(घ) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक तथा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वाा ाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक।
1– श्री भोपाल सिंह सैनी स0अ0 नेशनल इ0का0 चनौरी हरिद्वार सदस्य
2–श्री भगीरथ चौधरी,स0अ0 रा0इ0का0 पौन्धा देहरादून सदस्य
3–श्रीमती सुखविन्दर कौर, प्रवक्ता अग्रेजी गुरू नानक सदस्य
क0इ0का0 नानकमत्ता उधमसिंहनगर

4. श्री दीपक सिंह रौतेला,स0अ0 प्राथमिक विद्यालय नरगोली, बागेश्वर सदस्य
5. श्री दिनेश समवाल, प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 फाटल पौड़ी सदस्य
6. श्रीमती परमेश्वरी देवी,स0अ0 कस्तूरबा गांधी क0वि0 टनकपुर चम्पावतसदस्य
(ड)उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित (कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न प्रत्योक विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज)के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक–एक प्राध्यापक:

2. प्रो0एच0एस0 धागी, विभागाध्यद्वा गणित, कुमाउ विश्वविद्यालय सदस्य
परिसर अल्मोड़ा

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उसके समबद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेंवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रधानाध्यापक

1—

डा0 शिवेन्द्र कुमार, प्रवक्ता, पंतनगर यूनिवर्सिटी सदस्य

(छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी विद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक।

1— प्राध्यापक,कुमाद इंजीनियरिंग कालेज द्वारहाट सदस्य

(ज) मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक प्राध्यापक।

1— डा0एस0के0राय प्राध्यापक उत्तराखंड फारेस्ट सदस्य
हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल हल्द्वानी

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्य में से राज्य विधान सभा के द्वारा नामित निर्दिष्टयों के सदस्य

1— श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य विधान सभा, सदस्य

2— श्री मुन्ना सिह चौहान, सदस्य विधान सभा, सदस्य

(ड) शिक्षा से सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा नामित निर्दिष्ट एक व्यक्ति

1— श्री सुशील चन्द्र डोभाल, से0नि0 क्षेत्रीय सचिव सदस्य
माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0

2— सतीश कुमार शर्मा,स0अ0 पंजाब सिंध क्षेत्र सदस्य
इ0का0 87 आदर्श ग्राम ऋषिको

3—श्री हीरा बल्लभ शास्त्री, पूर्व प्रधानाचार्य, जनता इ0का0 सदस्य
रूद्रपुर 44 विवेकानन्द नगर रूद्रपुर

1— श्री प्रेम चन्द्र शास्त्री, प्रवक्ता गुरूकुल महाविद्यालय, गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार।

(ठ) उर्दू शिक्षा से सम्बद्ध , राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

1— श्री जमील अहमद उस्मानी,स0अ0उर्दू रा0इ0 महुवाखेड़ागंज
उधमसिंहनगर सदस्य

(ड)उधोग का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि

1—डा0 एच0एस0 कपरवान सदस्य

.....

निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड पदेन सदस्य

(ण) वित्त विभाग का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिस्ट एक प्रतिनिधिः

1— श्री रमेश चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तराखंड सदस्य

(थ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जिला शिक्षा अधिकारी

1— श्री नरेन्द्र कुमार बहुगुणा, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी सदस्य

(द)जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्राचार्य तथा दो शिक्षक—प्रशिक्षक

1—श्री मोहन सिंह नेगी, प्राचार्य डायट रूड़की सदस्य

2— श्री रमेा चन्द्र पाण्डेय, प्राचार्य डायट लोहाघाट चम्पावत। सदस्य

3—श्रीमती डा0 नन्द पुरोहित प्रवक्ता डायट चंडीगांव पौड़ी सदस्य

(ध) राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निदिष्ट एक प्रधानाचार्य

1—डा0जी0बी0सी0 बड़ोनी, प्रधानाचार्य राजीव गांधी सदस्य
नवोदय विद्यालय नालापानी देहरादून।

(न) महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज देहरादून का प्राचार्य

1—प्रचार्या, महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज देहरादून पदेन सदस्य

(प) आयुक्त केन्द्रीय विद्यालयसंगठन, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि :

1– श्री रंगलाल जामुदो, आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली। सदस्य

(फ)राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड का अपर निदेशकः

1– अपर निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड।
पदेन सदस्य

(ब) अपर शिक्षा निदेशक, मुख्यालय विद्यालय शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड
1– अपर शिक्षा निदेशक मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून पदेन सदस्य

(भ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली का उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक प्रतिनिधिः

1– सुश्री रचना गर्ग, वरिष्ठ व्याख्याता,सी0आई0ई0टी0चाचा सदस्य
नेहरू भवन, एन0सी0ई0आर0टी0 दिल्ली।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि
(य) नेशनल इस्टीट्यूट आफ आपन स्कूलिंग श्नई दिल्ली का उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि।

1– श्री ओम प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक, मूल्यांकन मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली।
सदस्य

(र) परिषद, का सचिव,
1–सचिव उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल। पदेन सदस्य

(2) राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नही हुआ है, प्रतिनितिधत्व प्राप्त करने के लिए शिक्षा से सम्बद्ध नाम निर्देशन।

1–श्री डोनाल्ड सी0एम0आई0इण्टर कालेज देहरादून सदस्य
2–सुश्री .....गर्ब्याल कुडीर गांधी चौराहा धारचूला पिथौरागढ़। सदस्य

भवदीय

(डा0राकेश कुमार)
सचिव

पृ0सं0/संख्या 201/xxvi–5 /2008 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखंड।
2–सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन।
3– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखड शासन।
4– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्री /राज्यमंत्री उत्तराखड शासन
5– अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखंड शासन।
6–प्रमुख स्थानीय आयुक्त उत्तराख।ड निवास नई दिल्ली
7– राज्य सम्पत्ति अधिकारी उत्तराखंड शासन
8– सचिव, विधान उत्तराखंड शासन।
9–समस्त अनुभाग उत्तराखंड शासन।
10–वित्त अधिकारी , इरला चैक अनुभाग उत्तराखड शासन। (02 प्रतियों) में।
11–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तराखंड।

12– समस्ता विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखंड
13–महालेखाकार उत्तराखंड देहरादून।
14–समस्त कोषाधिकारी उत्तराखंड।
15–शिक्षा निदेशक/सभापति, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल/निदेशक विद्यालयी शिक्षा देहरादून।
16–अपर निदेशकएस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर टिहरी
17–अपर सचिव उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।
18– अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमाउ मण्डल नैनीताल।
19–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखड।
20–कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
21–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
22–उप निदेशक,राजकीय मुद्रण एवं लेखनीय सामग्री रूड़की हरिद्वार से इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश का गजटके विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड (ख) में मुद्रिंत कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
23–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उषा शुक्ला
अपर सचिव

(C) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर, (टिहरी) उत्तराखण्ड।

1– संस्था का नाम एवं पताः– राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर, (टिहरी) उत्तराखण्ड।

2– संस्था का प्रकारः–––––––– परिषद।

3– संस्था का संक्षिप्त परिचयः– राज्य के विद्यालयी शिक्षा की सर्व सुलभता, समानता गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद, (एस0सी0ई0आर0टी0)उत्तराखण्ड का गठन 17 जनवरी 2002 को किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद, से सम्बद्व इकाइयों यथा– प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, मानविकी और समाजिक विज्ञान विभाग, विज्ञान और निर्देशन विभाग, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी विभाग, श्रव्य–दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग,व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग आदि के रूप में विस्तारित परिसर के विपरीत उत्त्ज्ञारांचल में एस0सी0ई0आर0टी0 के मुख्य परिसर में ही समस्त इकाइयों को समाहित किया गया है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) उत्तराखण्ड ऋषिकेश से 16 किलामीटर दूर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐतिहासिक नगर नरेन्द्रनगर में स्थित है। जिसका विभागाध्यक्ष, अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 है।

4:– संस्था की भूमिकाः– कार्यकारिणी, परामर्शदात्री एवं प्रबन्धकारिणी।

5:– स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः– शैक्षिक प्रशासन और प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण और लोकतांत्रिक आर्दशों के अनुरूप गतिशील बनाना, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक साझेदारी को आकादमिक क्षेत्र में बढ़ाना।

संसाधनों की उपलब्धताः– शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इसकी स्वरूप और आयाम के अनुरूप पूंजी निवेश हेतु साधन जुटाने के विविध अकादमिक प्रयास करना। जो निम्नवत् हैः–

1. शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्वि करना।
2. छात्र अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें विषय वस्तु, शैक्षिक तकनीकी व शिक्षण विधियों का ज्ञान एवं अभिप्रेरण कौशल तथा पाठ्क्रम सुधार के संबध में प्रशिक्षण देना।
3. प्रति वर्ष न्यूतम 900 से 1000 तक तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों का प्रशिक्षित करना।
4. सेवा पूर्व विभाग के समस्त शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करना।
5. लिंग भेद न करते हुये समान अवसर प्रदान करना।

6. Scholastic achievements के साथ Non Scholastic क्रियाकलाप/गतिविधियों में भी प्रशिक्षण देना जैसे संवाद एवं संचार कौशल, खेल,क्रीड़ा,योग,एन.सी.सी.,एन.एस.एस. सृजनात्मकता अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं समाजिक उत्थान के प्रतिबद्वता एव समान्य जागरूकता इत्यादि।
7. प्रशिक्षु क्रियाशीलता/प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करना।
8. एस0सी0ई0आर0.टी0, डायट्स बी0आर0सी0,सी0आर0सी0 का आपस में समन्वयन स्थापित करना।
9. शिक्षक शिक्षा संस्थानों को क्रियात्मक एव व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाना।
10. अधिगम प्रक्रिया में अनुसंधान केCase studiesसमस्या समाधान, रोलप्ले, प्रोजेक्ट वर्क स्वाध्याय, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन, समूह कार्य,टूयूटोरियलस, श्रव्य दृश्य सामग्री का विकास एवं उपयोग का समावेश करते हुये प्रोत्साहित करना।
11. स्पून फीडिंग की अवधारणा का उन्मूलन करना।
12. वैयक्तिक भिन्नताओं का अनुरूप प्रशिक्षण देना।
13. सामुदायिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशलों का प्रशिक्षण देना।
1. व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास की दृष्टि से सतत् एवं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना ।
2. उपयुक्त अवधि के शैक्षिक भ्रमण आयोजित करना।
3. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना।
4. शिक्षक शिक्षा संस्थानों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–
5. वर्तमान अध्यापक शिक्षा संस्थानों में मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण पेयजल व्यवस्था, नवीनीकृत उर्जा श्रोत्र, चादर दीवारों, बिजली, टेलीफोन, शौचालय।
6. पूर्ण सुसज्जित वाचनाालय,पुस्तकालय,प्रयोगशालायें,कमप्यूटर लैब, इन्टरनेट सुविधा सहित।
7. नये सी.टी.ई.तथा आई.ए.एस.ई. की स्थापना करना।
8. नये डायट तथा डी0आर0सी0 की स्थापना करना।
22. शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यकता आधारित एवं शोध आधारित प्रशिक्षण–

(क) सेवापूर्व प्रशिक्षण

(ख) सेवारत प्रशिक्षण

9. प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन एवं कोटिकरण–

शैक्षिक प्रबन्धकों एवं प्रशासकों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के मूल्यांकन के संदर्भ में अभिमुखीकरण प्रशिक्षण उक्त कार्य हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के मूल्यांकन एवं कोटिकरण के लिए प्रपत्र भी विकसित किया जायेगा।

24. शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा छात्रों के उच्च समप्राप्त हेतु विभिन्न शोध अध्ययन करना एवं इसके निष्कर्षो को शिक्षोन्नयन की प्रक्रिया में समावेशित करना–

(क) डायट्स के द्वारा कठिन स्थलों की पहचान हेतु उपलब्धि सर्वेक्षण करना।

(ख) विभिन्न स्तर पर कार्यरत शिक्षकों क्रियात्मक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित करना तथा गाइड करना।

(ग) नये शैक्षिक क्षेत्रों तथा छात्रा अध्यापकों की शिक्षण अभिरूचि, अंग्रेजी भाषा शिक्षण, कम्पयूटर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, उद्यमिता शिक्षा, अध्यापकीय शिक्षा, अभिरूचि, छात्रों की पठ्न पाठ्न अभिरूचि, सामुदायिक प्रतिभागिता, बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा, मध्यमान भोजन योजना, घुमन्तू परिवारों के बच्चों इत्यादि विषयों पर सर्वेक्षण और शोध कार्य किया/कराया जाना।

(घ) विभिन्न/प्रशिक्षण संस्थानों और उनके अभिकर्मियों को भौतिक एवं मानव संसाधन क्षमता विकसित किये जान हेतु तकनीकी आधारित विभिन्न कार्यक्रम यथा ICT, EDUSET शैक्षिक नवाचार, कक्षा कक्ष के अनुदेशन प्रकियाओं Individual process एवं शिक्षक शिक्षा में गुणावत्मक हेतु सुधार हेतु प्रोत्साहित करना।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड में स्थापित विभागों को विवरण

1.प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

* प्राथमिक शिक्षा
* उच्च प्राथमिक शिक्षा

2.माध्यमिक शिक्षा एवं विविध विषय विभाग

- माध्यमिक शिक्षा प्रबन्ध
- समाजिक विषय
- अन्य विषय

3.विज्ञान एवं गणित विभाग

* विज्ञान
* गणित

4. शैक्षिक तकनीकी

* पैडागाजी
* आई0टी0
* दूरस्थ शिक्षा

5. विशिष्ट शिक्षा विभाग

* समेकित शिक्षा
* बालिका शिक्षा
* पर्यावरण शिक्षा

6. शोध एवं मूल्यांकन विभाग

* मूल्यांकन
* शोध

7. भाषा विभाग

* हिन्दी
* अंग्रेजी
* संस्कृत
* अन्य भाषायें

8. शिक्षक शिक्षा विभाग

9. उद्यमिता विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा

* उद्यमिता विकास
* व्यावसायिक शिक्षा

10. मानोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग

* मानोविज्ञान
* निर्देशन

11. (अ) पुस्तकालय विभाग
(ब) प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रसार विभाग

12. विभागीय समन्वयन विभाग

प्रशासनिक :–विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षाधिकारियों से समय–समय पर उनके अपने –अपने क्षेत्र विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता सुधार हेतु चर्चा करना और उन्हें इस दिशा में अकादमिक दिशा निर्देशन एवं अभिप्रेरणा प्रदान करना। बोर्ड परीक्षा प्रश्न–पत्र निर्माण एवं छात्र मूल्यांकन संबधी अन्य कार्यो के गुणात्मक सुधार के संबध में परीक्षा परिषद् को यथा वांछित अकादमिक रिर्पोट/सर्पोट प्रदान करना।
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों वह एस0सी0ई0आर0टी0 के मध्य समन्वयन स्थापित करना। एस0सी0ई0आर0टी0 एवं डायट के समस्त अभिकर्मियों से सेवा संबधी इन सभी कार्यो को निस्तारण सक्षम स्तर से करना जो सम्प्रति अपर निदेशक, उत्तराखण्ड के कार्यालय से सम्पादित किये जा रहे। डायट के अकादमिक/प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यो का पर्यवेक्षण करना और उसका फॉलोअप।

वित्तीयः–एस0सी0ई0आर0टी0 के विभिन्न विभाग अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय व्यय संबन्धी प्रस्तावों को स्वीकृत बजट तथा शासकीय/विभागीय नीति निर्देशनों के तहत अनुमोदित करना एवं आहरण वितरण की कार्यवाही करना। डायट को उन्हें उनके वार्षिक बजटों को बनाये जाने तथा वांछित यथा आवश्यक मार्ग दर्शन देते हुये उनका वार्षिक बजट तैयार करवाना व शिक्षा निदेशक, के माध्यम से शासन को स्वीकृति भिजवाना। आंवटित बजट व्यय का 'सदुपयोग सुनिश्चित करना। डायट प्राचार्य के यात्रा कार्यक्रम को अनुमोदित करना एवं उनके यात्रा बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना। डायट्स के वित्तीय कार्यो पर देखरेख को बनाये रखना उनके लिये वांछित बजट की मांग को संस्तुत करना।

यह संस्थान राज्य की प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबन्धित विभिन्न कार्यो दायित्वों का निर्वहन अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से करता है। प्रत्येक विभाग का एक

विभागाध्यक्ष होता है, जो शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक स्तर का होता हैं। जिसके अधीन स्वीकृत पद संख्या के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार के अनुसार सहायक निदेशक, शोध अधिकारी, एवं प्रवक्ता व सहायक वर्ग रहेगा।

वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्व परिषद् के कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाते है, उनकी सहायता के लिये एस0सी0ई0आर0टी0 के विभिन्न विभागाध्यक्ष में सहयोग प्रदान करतें है।

प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा से संबन्धित सभी अन्य शोध एवं प्रशिक्षणों संस्थानों व संसाधनों केन्द्रों तथा सी0टी0ई0, डायट, डी0आर0सी0,सी0आर0सी0 के लिए मार्ग दर्शक अकादमिक एव प्रशासनिक संस्थान संस्था के रूप में भी कार्य करती है। तथा इसके द्वारा प्रदेश में संचालित होने वाले सभी अकादमिक कार्यो का समन्वयन भी किया जाता है। एस0सी0ई0आर0टी0 मण्डलीय शिक्षा निदेशालय स्तर पर कार्यरत संयुक्त निदेशक,(अकादमिक एवं अनुश्रवण) को भी उन्हें अपने कार्यदायित्वों के निर्वहन में दिशा निर्देशन प्रदान किया जाता है। वे एस0सी0ई0आर0टी0 के प्रति भी समान रूप से उत्तरदायी है। मण्डलीय संयुक्त निदेशक,(अकादमिक एवं अनुश्रवण) के माध्यम से एस0सी0ई0आर0टी0, जिला एवं अन्य निचले स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षणों पर भी अपनी देख रेख बनाये व आवश्यक मार्गदर्शन एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करती है।

प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर संचालित प्रशिक्षणों संस्थानों/संस्थान केन्द्रों में अभिकर्मियों का चयन तथा राज्य में किसी भी प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा से संबन्धित किसी भी संस्थान को राज्य सरकार द्वारा मान्यता राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संस्तुति पर ही दी जाती है।

विद्यायली शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में कक्षा 01 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था एक संगठन है। राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडियट, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, एवं इण्टरमीडियट कालेज सीधे संगठन के अकादमिक क्षेत्र में नियंत्रणाधीन है। मण्डल स्तर पर गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल में अपर निदेशक, का कार्यालय उपस्थित है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), प्राचार्य डायट, तथा ब्लाक स्तर पर खंडशिक्षाधिकारी एवं उपखण्ड शिक्षाधिकारी, प्रचार्य डायट डी0आर0सी0, सी0आर0सी0 व्यवस्था है।

विभिन्न कार्यक्रमों के सफलता पूर्वक संचालन तथा परिषद् के विभिन्न विभागों के लिये कार्यकारी नियम एक कार्यकारी समिति द्वारा बनायी गयी है जो निम्नवत् है–

1. कार्यकारी अधिकारी रा0शै0अनु0एवं प्रशि0परिषद : अध्यक्ष
2. वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष(संयुक्त निदेशक)स्तर रा0शै0अनु0एवं प्रशि0परिषद– सदस्य सचिव
3. वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष (उप निदेशक) स्तर रा0शै0अनु0एवं प्रशि0परिषद सदस्य
4. वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष निदेशक रा0शै0अनु0एवं प्रशि0परिषद सदस्य
5. शासन द्वारा नामित एक अधिकारी सदस्य
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा नामित एक अधिकारी सदस्य
7. राज्य परियोजना का एक प्रतिनिधि सदस्य
8. वरिष्ठतम शोध अधिकारी, रा0शै0अनु0एवं प्रशि0परिषद सदस्य
9. वरिष्ठतम प्रवक्ता सदस्य

सम्बन्धित शैक्षिक अनुसंधान एवं विविध प्रशिक्षण दायित्वों के निर्वाहन हेतु एक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया जाता है।

उपर्युक्त परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नांकित होगें–

1. मा0 शिक्षामंत्री **अध्यक्ष**
2. शिक्षा सचिव **उपाध्यक्ष**
3. वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि **सदस्य**
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा सदस्य

5. कार्यकारी अधिकारी (निदेशक/अपर निदेशक) एस.सी.ई.आर.टी. सदस्य सचिव
6.एन.सी.ई.आर.टी.के प्रतिनिधि सदस्य
7. उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमिक नैनीताल के प्रतिनिधि सदस्य
8. उच्च शिक्षा के क्षेत्र से दो प्रतिनिधि
9. वर्तमान/निवर्तमान उत्कृष्ट कोटि के शिक्षा अधिकारी (दो प्रतिनिधि)
10. वर्तमान/निवर्तमान उत्कृष्ट कोटि के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक(दो प्रतिनिधि)
11. वर्तमान/निवर्तमान उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक प्रशिक्षक
12. वर्तमान/निवर्तमान उत्कृष्ट कोटि के प्रवक्ता (दो प्रतिनिधि) "
13. वर्तमान/निवर्तमान उत्कृष्ट कोटि के प्रशिक्षित स्नातक स्तर के अध्यापक(दो
14. वर्तमान/निर्वतमान उत्कृष्ट कोटि के प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक दो प्रतिनिधि "
15 वर्तमान/निर्वतमान उत्कृष्ट कोटि के प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दो प्रतिनिधि "
16. विज्ञान साहित्य, कला एवं संगीत/संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के सदस्य सुविख्यात विशेषज्ञो से चार प्रतिनिधि

क्रमांक 4 से 16 तक के प्रतिनिधियों के नामों की संस्तुति राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की समिति द्वारा की जायेगी। जिसका अनुमोदन परिषद् द्वारा किया जायेगा। इनका नामांकन दो वर्ष लिए होगा, जिन्हें उक्तवत् आगे बढाया भी जा सकेगा। क्रमांक 8 से 16 तक लिए जाने वाले प्रतिनिधि सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलायें व 50 प्रतिशत पुरूष होंगें।"

6:– मुख्य अधिकारी का नामः– अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर, टिहरी।

7:– मुख्य कार्यालय का पताः– नरेन्द्र नगर, टिहरी।

शाखायें/अधीनस्थ कार्यालय

पद नाम	कार्यालय	फोन नं0
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव पौडी	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	

	रायपुर देहरादून	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रूड़की हरिद्वार	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मदन नेगी टिहरी	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लम्मेश्वर अल्मोडा	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट पिथौरागढ.	
प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर	
प्राचार्य,	जिला संसाधान केन्द्र, बागेश्वर	
प्राचार्य,	जिला संसाधान केन्द्र, चम्पावत	
प्राचार्य,	जिला संसाधान केन्द्र, रूद्रप्रयाग	

8:– बैठक की आवृतिः– निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

परिषद् के समस्त प्रशासनिक व वित्तीय कार्य शासकीय जी0ओ0/विभागीय दिशा–निर्देश पत्रों के आधार पर एवं शासकीय निर्धारित नीति–नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार संपादित किए है।

परिषद के अकादमिक कार्यो को राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों यथा एन0सी0ई0आर0टी0 नीपा, आर0आई0ई0(अजमेर) आदि के सुझावों एवं निदेशाालय /परियोजना एस0एस0ए0 के सुझावों एवं परिषद स्तर पर गठित तदर्थ समिति के सदस्यों के पारस्परिक विचार–विमर्श आधारित लिए गए निर्णयों के आधार पर तैयार वार्षिक कैलेण्डर के अनुरूप सम्पन्न व संचालित किया जाता है। इनको यथा परिस्थिति शासन/विभाग के दिशा निर्देशानुरूप परिवर्धित व संबर्धित भी किया जाता रहता है।

उक्त के सम्बन्ध में संस्थान के विभागीय सामान्य सम्पादित होने वाले कार्यो के सम्बन्ध में अंर्तविभागीय समन्वय समिति के विचार– विमर्श के आधार पर एस0सी0ई0आर0टी0 के कार्यकारी अधिकारी (अपर निदेशक) के द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा जहां पर उक्त सामान्य कार्यो के अलावा कोई भी अन्य नये प्रकार के कार्य सम्पादित किये जाते हैं, उसे शिक्षा निदेशालय के सम्मुख संस्तुति सहित प्रस्तुत किया जाता है। जिस पर नीतिगत निर्णय इनके द्वारा तय करने पर आगे तद्नुरूप उस प्रवृति के कार्यो को कार्यकारी अधिकारी द्वारा तदैवतय नीति अनुसार ही निर्णय लेकर सम्पादित किया जाता है। संस्थान के कार्यो के लिए संस्थान के अपर निदेशक उत्तरदायी है तथा दिए गए नीति निर्देशन के लिए संबधित अधिकारी उत्तरदायी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पर्यवेक्षण भी संस्थान के द्वारा अपने कार्यकारी अधिकारी के दिशा–निर्देश में किया जाता है। जो डायट्स को उनके अकादमिक कार्यदायित्व संपादन में उन्हें दिशानिर्देशन प्रदान करता रहता है। संस्थान, डायट के प्रशासनिक व वित्त्ज्ञीय कार्यो की प्रदत्त विभागीय दिशादिर्नेश की सीमा तक देख–रेख भी करता है व दिशानिर्देश भी प्रदान करता हैं।

9:– क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है– (हाँ)।

10:– क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किया जाता है– (हाँ)।

11:– क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दें।

विवरण निम्नलिखित है:–

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण :

एस0सी0ई0आर0टी0 में एक जनहित में नागरिकों को विविध सूचनांयें यथा समय प्रदान हेतु एक सूचना एवं परामर्श कक्ष संचालित किया गया है, साथ ही परिषद् का एक पुस्तकालय का कक्ष भी है। जिसमें सम्बन्धित सूचनाएं एवं साहित्य उपलब्ध है। जिसे किसी को भी शैक्षिक अध्ययन शोध के लिए मांग पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का पता–

कार्यालय– अपर निदेशक,/लोक सूचना अधिकारी, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तरांचल, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

दूरभाष :– 01378– 227459
फैक्स :– 01378– 227528
ई0मेल :– S.C.E.R.T- ua@rediffmail.com.

अन्य :–

अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क –सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक एवं बेसिक,
2 सुभाष रोड़, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग — देहरादून : दिनांक 17 जनवरी, 2002

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना।

महोदय,

वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में 10865 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 2296 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 491 राजकीय हाईस्कूल, 70 अशासकीय हाईस्कूल, 639 राजकीय माध्यमिक तथा कक्षा 491 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। उक्त विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर विकास, संवर्द्धन, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध, प्रबन्धन, तत्संबंधी प्रशिक्षण तथा छात्रों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम साथ ही सेवा शर्त पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी0टी0सी0) आदि का क्रियान्वयन किया जाना है।

2– उक्त कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य में अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान तथा संख्या में दिनांक 28–2–2002 तक बशर्ते कि उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अपर निदेशक,	14,300–18,300	01
2	संयुक्त निदेशक	12,000–16,500	05
3	उप निदेशक	10,000–15,200	08
4	वरिष्ठ प्रवक्ता / सहायक निदेशक	8,000–13,500	20
5	शोध अधिकारी	6,500–10,500	20
6	प्रवक्ता	5,500–9,000	60
7	वरिष्ठ सहायक / कंसोल आपरेटर	4,500–7,000	20
8	आशु लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	4,000–6,000	06
9	ड्राइवर	3,050–4,590	08
10	दफ्तरी / आपरेटर	2,610–3,540	04
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2,550–3,200	20
12	लेखाधिकारी	8,000–13,500	01
13	लेखाकार / कंसोल आपरेटर	5,000–8,000	01
14	सीनियर आडिटर	5,000–8,000	01
15	सहायक लेखाकार / डाटा इन्ट्री आपरेटर	4,000–6,000	02
16	आडिटर	4,000–6,000	01
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2,550–3,200	02
		योग	180

3– उक्त पद धारकों का समय–समय पर निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे। उक्त पदों पर भर्ती यथासमय सेवा नियमावली प्रख्यापन के उपरान्त की जायेगी।

4– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक एवं बेसिक) राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद् के पदेन निदेशक होंगे। इसका मुख्यालय नरेन्द्र नगर, टिहरी में होगा।

5– उक्त हेतु आय–व्ययक व्यवस्था शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं बेसिक द्वारा यथा समय आगामी वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में कराई जानी सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय
अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव।

संख्या 10(1)/माध्यमिक/2002/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, इलाहाबाद।
2. अपर शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से
जे0पी0 जोशी
अनु सचिव

सेवा में,

एस0के0माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 27 जून, 2006

विषयः– एस0सी0आर0टी0 से पदों का स्थानान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक : परीक्षा–2 / 7403 / 2006–07 दिनांक 26–5–2006 के संदर्भ में मुझे यह निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या : 10 / माध्यमिक / 2002 दिनांक 17–1–2002 द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् हेतु सृजित कुल 180 पदों में से उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, में मूल्यांकन एवं शोध प्रकोष्ठ, गृह / विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ तथा विद्यालयी शिक्षा निदेशालय में एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार स्तम्भ 5,6 एवं 7 में उल्लिखित क्रमशः 12, 12, एवं 06 अर्थात कुल 30 पदों को इस शर्त के साथ स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि भविष्य में एस0सी0ई0आर0टी0 के लिए इन पदों की मांग नहीं की जायेगी :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	एस0सी0ई0आर0टी0 में पदों की संख्या	परिषद हेतु स्थानान्तरित पदों की संख्या		निदेशालय हेतु स्थानान्तरित पदों की संख्या	एस0सी0ई0आर0टी0 में अवशेष पद
				मूल्यांकन एवं शोध	गृह / विभागीय परीक्षा		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अपर निदेशक	14300–400–18300	01	–	–	–	01
2	संयुक्त निदेशक	12000–375–16500	05	01	–	–	04
3	उप निदेशक	10000–325–15200	08	–	–	–	08
4	वरिष्ठ प्रवक्ता / सहायक निदेशक	8000–275–13500	20	01	–	–	19
5	शोध अधिकारी	6500–200–10500	20	–	02	01	17
6	प्रवक्ता	6500–200–10500	60	07	03	01	49
7	मुख्य सहायक / कंसोल आपरेटर	4500–125–7000	20	–	02	02	16
8	आशुलिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	4000–100–6000	06	01	–	01	04
9	लेखाधिकारी	8000–275–13500	01	–	–	–	01
10	लेखाकार / कंसोल आपरेटर	5500–175–9000	01	–	–	–	01
11	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5500–175–9000	01	–	–	–	01

12	लेखा परीक्षक	4500–125–7000	01	–	–	–	01
13	सहायक लेखाकार /डाटा इन्ट्री आपरेटर	4500–125–7000	02	–	–	–	02
14	चालक	3050–75–3950–80–4590	08	–	–	–	08
15	दफ्तरी/ आपरेटर	2610–60–3150–65–3540	04	–	–	01	03
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2550–55–2660–60–3200	22	02	05	–	15
	योग		**180**	**12**	**12**	**06**	**150**

2– उक्त तालिका के स्तम्भ 5,6एवं07 में उल्लिखित संख्या में पदों को स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरुप एस0सी0ई0आर0टी0 हेतु शासनादेश संख्या 10/माध्यमिक/2002 दिनांक 17–1–2002 द्वारा सृजित पदों की संख्या स्तम्भ–8 में उल्लिखित विवरणानुसार रह जायेगी। शासनादेश दिनांक 17–1–2002 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–280/XXVII(3)/06 दिनांक 24 जून 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
एस0के0माहेश्वरी
अपर सचिव।

संख्या–293(1)/XXIV-2/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर टिहरी।
6. अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
7. अपर शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल–नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
11. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

—:—

(D). राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड

परिचय

- माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्ता शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा 2007 के स्वतन्त्रता दिवस पर कार्यक्रम की घोषणा।
- योजना आयोग भारत सरकार के द्वारा दसवी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के विस्तार के रूप में माध्यमिक शिक्षा अभियान का सुझाव।

लक्ष्य

- माध्यमिक शिक्षा की सर्व सुलभता, समानता, सामाजिक न्याय, पाठ्यक्रम विकास, आधारिक विकास एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समानता का अवसर।

उद्देश्य

- 14 से 18 वय वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा की सुलभता।
- छात्रमानकानुसार प्रत्येक 5 किमी0 की परिधि में हाईस्कूल तथा 7 से 10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट शिक्षा की व्यवस्था।
- 2012 तक सकल नामांकन (GER) 70 प्रतिशत व 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सर्व सुलभता एवं सकल नामांकन (GER) 100 प्रतिशत।
- 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव।
- आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े, बालिकाओं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, ग्रामीण एवं अपवंचित वर्ग को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता।
- माध्यमिक विद्यालय की सर्व सुलभता, समानता, सामाजिक न्याय, पाठ्यक्रम विकास, आधारिक विकास एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की समानता का अवसर।
- प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में भौतिक सुविधा, शिक्षकों एवं कार्मिकों की राज्य के मानकानुसार उपलब्धता।

लक्ष्य समूह

- 14 से 18 वय वर्ग के समस्त बच्चे जिन्होनें कक्षा 8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर ली हो।
- प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 के लिए।

वित्तीय मानक

- केन्द्र सरकार सहायतित योजना जिसमें –
  - 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011–12) तक केन्द्र एवं राज्यांश क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत।
  - 12वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र एवं राज्यांश 50–50 प्रतिशत।

रणनीति

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हस्तक्षेप जैसे कि– नवीन विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, मानकानुसार पर्याप्त शिक्षक तथा अन्य सुविधाओं, मानव संसाधनों, शैक्षणिक एवं प्रभावी पर्यवेक्षण की आवश्यकता। रणनीति निम्नवत् है –

- पहुँच (Access)
- गुणवत्ता (Quality)
- समता (Equity)
- संस्थागत सुधार एवं संसाधन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (Institutional Reforms & Strengthening of Resource Institutions)

पहुँच (Access):-

- उच्च प्राथमिक विद्यालय/हाईस्कूलों का उच्चीकरण (राज्य मानक एवं आवश्यकता अनुसार)
- असेवित क्षेत्रों में नवीन हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों की स्थापना।
- विद्यालयों में विकलांग बच्चों की आवश्यकतानुसार सुविधाओं का विकास एवं भवनों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था।
- पी0पी0पी0 मोड में नवीन विद्यालयों की स्थापना।

गुणवत्ता (Quality):-

- विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों यथा – श्यामपट्ट, फर्नीचर, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब आदि की व्यवस्था।
- विद्यालयों में शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था।
- मानक व आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति।
- समस्त कार्यरत शिक्षकों का सेवारत् प्रशिक्षण।
- संस्थाध्यक्षों एवं शिक्षा में कार्य कर रहे कर्मियों का नेतृत्व (लीडरशिप) प्रशिक्षण।
- एन0सी0एफ0 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन।
- परीक्षा पद्यति में सुधार।
- ग्रामीण तथा दुर्गम स्थलों पर शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था जिसमें महिला शिक्षकों को प्राथमिकता।

समता (Equity):-

- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए निशुःल्क आवासीय व्यवस्था।
- बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय, प्रोत्साहन भत्ता, पोशाक, किताबें, पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रतिभावान/निर्धन बालिकाओं एवं अल्प संख्यक बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां।
- समेकित शिक्षा हेतु सुविधाओं की उपलब्धता।

- दूरस्थ शिक्षा एवं ओपन स्कूल व्यवस्था का विस्तार।

संस्थागत सुधार एवं संसाधन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
(Institutional Reforms & Strengthening of Resource Institutions)

- शैक्षिक/विद्यालय प्रबन्धन की भागेदारी एवं विकेन्द्रीकरण।
- शिक्षक नियुक्ति, स्थानान्तरण, प्रशिक्षण एवं अन्य क्रिया–कलापों के लिए समयबद्ध नीति।
- शैक्षिक प्रबन्धन का आधुनिकीकरण/ई0गवर्नेन्स एवं विकेन्द्रीकरण।
- आवंटित भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का महत्तम उपयोग।
- एस0सी0ई0आर0टी0, स्टेट ओपन स्कूल, सीमैट आदि संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
- पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों की विद्यालय प्रबन्धन में भागीदारी।

पूर्व क्रिया–कलाप (Pre Project Activity)

- राज्य स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन।
- राज्य एवं जनपद स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न समितियों का गठन।
- विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति सहित शैक्षिक एवं निर्माण कार्य अनुश्रवण समिति एवं शिक्षक अभिभावक संगठन का गठन।
- माध्यमिक शिक्षा सूचना प्रबन्धन तन्त्र (SEMIS) की स्थापना।
- विद्यालयों से SEMIS Format पर आकड़ो का संकलन।
- जिला शिक्षा कार्यालय एवं ब्लाक शिक्षा कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण।
- जिला एवं ब्लाक शिक्षा कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता।
- माध्यमिक विद्यालय स्थापना/उच्चीकरण हेतु स्कूल मानचित्रण।
- उच्चीकरण हेतु विद्यालयों की पहचान।
- विद्यालय/जनपद का बेस लाइन सर्वे।
- जनपद स्तर पर कोर टीम का गठन एवं उसका प्रशिक्षण।
- जन सामान्य में योजना के प्रति जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार
- प्रत्येक (राज्य से विद्यालय तक) स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए पृथक बैंक खाता।

प्रमुख हस्तक्षेप (Major Interventions)

भौतिक संसाधनः–

- कक्षा–कक्षों का निर्माण।
- पुस्तकालय कक्ष का निर्माण।
- विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण।

- कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण।
- कला एवं क्राफ्ट कक्ष का निर्माण।
- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य कक्ष का निर्माण।
- कार्यालय कक्ष का निर्माण।
- बालक–बालिका पृथक शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था।
- खेल के मैदानों का सुदृढीकरण।
- विद्यालयों की आवश्यकतानुरूप वृहद मरम्मत।
- दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- विद्यालयों में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था।
- विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था।
- विद्यालयों को बाधारहित बनाना (Disabled friendly)।
- विद्यालयों में शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था।

मानवीय संसाधनः–

- राज्य सरकार के मानकानुरूप प्रत्येक नए खुलने/उच्चीकृत विद्यालयों में –
  - ✓ प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की व्यवस्था।
  - ✓ नियमित प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
  - ✓ अल्पकालिक शिक्षकों की व्यवस्था।
  - ✓ कार्यालय सहायक/दफ्तरी की व्यवस्था।
  - ✓ चतुर्थश्रेणी/चौकीदार की व्यवस्था।
  - ✓ प्रयोगशाला सहायकों की व्यवस्था।
- पूर्व से संचालित विद्यालयों में नए सेक्शन खोलने पर–
  - ✓ प्रति सेक्शन 1.5 की दर से नियमित प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।

अन्यः–

- शैक्षिक उपकरणों एवं सामग्री, खेल एव संगीत उपकरण/सामग्री, विद्यालय विकास, विद्युत, टेलीफोन व नेट एवं जलकर आदि के लिए प्रत्येक विद्यालय को रू0 50 हजार की दर से वार्षिक विद्यालय अनुदान।
- पुस्तकालय में समाचार पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के लिए वार्षिक अनुदान।
- प्रयोगशाला उपकरणों एवं अन्य सामग्री के लिए वार्षिक अनुदान।
- विद्यालय साज–सज्जा, सौन्दर्यकरण, मरम्मत आदि हेतु रू0 25 हजार की दर से वार्षिक मरम्मत अनुदान।
- विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक के लिए 5 दिवसीय अनिवार्य सेवारत शिक्षक– प्रशिक्षण।
- बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमणों एवं विज्ञान प्रदर्शनी की व्यवस्था।
- विद्यालय से बाहर एवं ड्रापआउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम।
- विशेष लक्ष्य समूह – अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था।

- एस0सी0ई0आर0टी0, स्टेट ओपन स्कूल, सीमैट आदि संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
- राज्य स्तर पर गाइडेंस एवं काउंसलिंग ब्यूरो की स्थापना।

उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए तैयार मार्गदर्शिका के अध्याय–8 के बिन्दु 8.2 के अनुसार परियोजना के संचालन हेतु उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत किया गया है। समिति के मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा सहायतित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा (आई0सी0टी0), विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों की शिक्षा (आई0ई0डी0सी0), बालिका छात्रावास आदि योजनाओं का नियोजन संचालन तथा अनुश्रवण करना है। जिसके द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

परिषद के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्य के लिये निम्नवत समितियों का गठन किया गया है –

साधारण सभाः–

1–	माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड	**अध्यक्ष (पदेन)**
2–	माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड	**उपाध्यक्ष (पदेन)**
3–	माननीय मंत्री महोदय, सचिव उत्तराखण्ड, अन्य विभागीय प्रतिनिधि, स्वयम्सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षाविद एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित	**अन्य सदस्य गण**
4–	निदेशक विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक (मा0शि0अ0)	**सदस्य सचिव**

कार्यकारिणी समितिः–

1–	मुख्य सचिव उत्तराखण्ड	**अध्यक्ष (पदेन)**
2–	सचिव विद्यालयी शिक्षा	**उपाध्यक्ष (पदेन)**
3–	अन्य सचिव, शिक्षाविद, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी तथा अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	**अन्य सदस्य गण**
4–	निदेशक विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक (मा0शि0अ0)	**सदस्य सचिव**

राज्य कार्यक्रम समितिः–

1–	अपर राज्य परियोजना निदेशक	**अध्यक्ष**
2–	न्यूपा, एन0सी0ई0आर0टी, एस0सी0ई0आर0टी, सीमेट, गढ़वाल एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि	**अन्य सदस्य गण**
3–	संयुक्त निदेशक परियोजना	**सदस्य सचिव**

कार्यकारिणी समिति की उप समितियां

परिषद की नियमावली के बिन्दु–44 के अनुसार कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार प्रदत्त हैं कि समिति कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर

सकती है तथा अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन इन उप समितियों को कर सकती है। इस संदर्भ में कार्यकारिणी समिति परिषद द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए वित्त समिति तथा कार्यक्रम अनुश्रवण समिति के गठन निम्नवत किया गया है –

वित्त समितिः–

1.	प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अपर सचिव (मा0शि0) उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर सचिव (बे0शि0), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	अपर सचिव (नियोजन), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
8.	अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
9.	अपर निदेशक, सीमेट	सदस्य
10.	अपर निदेशक, शिक्षा निदेशालय मुख्यालय	सदस्य
11.	वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
12.	वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
13.	वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय	सदस्य
14.	अपर राज्य परियोजना निदेशक, मा0शि0अ0	सदस्य
15.	भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
16.	शिक्षा निदेशक/राज्य परियोजना निदेशक मा0शि0अ0	सदस्य सचिव

इस समिति के प्रमुख कार्य परिषद द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों के प्रस्तावों का वित्तीय परीक्षण, नये कार्यक्रमों के वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन तथा समय–समय पर कार्यकारिणी समिति को वित्तीय सलाह देना व अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना है

कार्यक्रम अनुश्रवण समितिः–

1.	सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	अपर सचिव (मा0शि0) उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	अपर सचिव (बे0शि0), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर सचिव (नियोजन), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
7.	अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
8.	अपर निदेशक, सीमेट	सदस्य
9.	अपर निदेशक, शिक्षा निदेशालय मुख्यालय	सदस्य
10.	अपर राज्य परियोजना निदेशक, मा0शि0अ0	सदस्य
11.	अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
12.	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर	सदस्य
13.	एक जिला परियोजना अधिकारी(मा0शि0अ0) जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
14.	एक खण्ड शिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
15.	शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी संस्था का एक प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
16.	मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
17.	मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
18.	शिक्षा निदेशक/राज्य परियोजना निदेशक मा0शि0अ0	सदस्य सचिव

इस समिति का प्रमुख कार्य परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए योजना तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन भी समिति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कार्यक्रम अनुश्रवण समिति को यह अधिकार है कि परियोजना हित में परियोजना के आवश्यक एवं तत्कालीन जरूरत के बिन्दुओं पर वह त्वरित निर्णय ले सके तथा उन निर्णयों का अनुसमर्थन कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्राप्त कर ले।

जनपदीय परियोजना समिति

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय परियोजना समिति, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान **(District Project Committee RMSA)** का गठन किया निम्नानुसार किया गया है –

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0शि0)	सदस्य
4.	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	सदस्य
5.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7.	जनपद प्रभारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	सदस्य
8.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0शि0) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
9.	जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
10.	एक शिक्षाविद् जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
11.	एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही समाजसेवी महिला प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष द्वारा नामित की जायेगी	सदस्य
12.	एक जिला पंचायत सदस्य जो अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित किया जायेगा (चक्रानुक्रम में)	सदस्य
13.	एक क्षेत्र पंचायत प्रमुख जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
14.	एक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
15.	एक अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति/अध्यापक अभिभावक संघ, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
16.	राज्य परियोजना निदेशक (मा0शि0अ0) द्वारा नामित एक प्रतिनिधि–	सदस्य
17.	दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इण्टरमीडिएट/हाईस्कूल, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिसमें कम से कम एक महिला प्रतिनिधि शामिल हो	सदस्य
18.	मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षक संघ/माध्यमिक शिक्षक संघ का जनपद स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
19.	अपर जिला परियोजना अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य सचिव

विद्यालय स्तरीय समितियां

विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समितिः– विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति **(School Management & Development Committee) (SMDC)** का गठन किया जाएगा जो कि विद्यालय स्तर पर पर्सपैक्टिव प्लान एवं वार्षिक योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन करेगी। प्रत्येक विद्यालय का विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति **(School Management & Development Committee)** के नाम से विद्यालय के निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक (बैंक न होने की दशा में डाकघर) में खाता खोला जायेगा। विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा :–

1.	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठतम् शिक्षक	सदस्य सचिव
3.	अध्यापक (सामाजिक विज्ञान)	सदस्य
4.	अध्यापक (विज्ञान)	सदस्य
5.	अध्यापक (गणित)	सदस्य
6.	एक पुरूष अभिभावक	सदस्य
7.	एक महिला अभिभावक	सदस्य
8.	दो पंचायत सदस्य/वार्ड सदस्य (चक्राक्रमानुसार)	सदस्य
9.	एक अ0जा0/अ0ज0जा0 समुदाय का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	एक शैक्षिक रूप से पिछड़े संवर्ग का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	महिला दल की एक सदस्य	सदस्य
12.	प्रत्येक गॉव की शिक्षा विकास समिति का एक सदस्य जो कि विद्यालय से सेवित होते हैं।	सदस्य
13.	जिला परियोजना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विज्ञान, कला एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तीन सदस्य	सदस्य
14.	एक शिक्षा अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
15.	एक वित्त एवं लेखा संवर्ग का प्रतिनिधि	सदस्य

विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी। विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अधीन दो उप समितियाँ होंगी – (1) विद्यालय निर्माण अनुश्रवण समिति, (2) शैक्षणिक समिति। जिनका गठन निम्नवत किया जाएगा –

1. विद्यालय निर्माण अनुश्रवण समितिः– यह समिति विद्यालय नियोजन, आगणन, प्रबन्धन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखा का रखरखाव, लेखा का मासिक संकलन, लेखा का स्कूल प्रबंधन समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण (निर्माण, मरम्मत, रखरखाव तथा अन्य निर्माण सम्बन्धी) के लिये उत्तरदायी होगी। विद्यालय निर्माण समिति निम्नवत् होगी :–

1.	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2.	सदस्य पंचायत (प्रधान द्वारा नामित)/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र)	सदस्य
3.	पी0टी0ए0 द्वारा नामित एक अभिभावक	सदस्य
4.	निर्माण कार्य में विशेषज्ञ (अवर अभियंता)	सदस्य सचिव
5.	वित्त एवं लेखा संवर्ग का एक सदस्य	सदस्य

विद्यालय निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी। समिति विद्यालय में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का नियमित अनुश्रवण करेगी। निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर थर्ड पार्टी मूल्यांकन किसी तकनीकी संस्था/संस्थान द्वारा किया जायेगा। जो कि कार्य के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा कार्य पूर्ण होने पर क्रमशः अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। विद्यालय में निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

2. शैक्षिक समितिः– विद्यालय में समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का नियोजन, प्रबंधन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, एस0ई0एम0आई0एस0, गुणवत्ता परक शिक्षा, शिक्षा में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, बालिका शिक्षा, शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति, शिक्षक प्रशिक्षण, सलाह एवं परामर्श, छात्र उपलब्धि/सम्प्राप्ति, पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए यह समिति उत्तरदायी होगी। विद्यालय शैक्षणिक समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे –

1.	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2.	प्रत्येक माध्यमिक कक्षा में अध्ययनरत 01 छात्र/छात्रा के अभिभावक	सदस्य
3.	सहायक अध्यापक विज्ञान/गणित, सामाजिक विषय, भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी), कला/व्यायाम के एक–एक शिक्षक	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य सचिव

शिक्षक–अभिभावक संघ

प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–अभिभावक संघ का गठन किया जाएगा। प्रत्येक माह में एक दिन इस समिति की बैठक आहूत की जाएगी। प्रत्येक कक्षा–शिक्षक एक पंजिका रखेगा, जिसमें अभिभावक द्वारा सुझाव/शिकायत को पंजीकृत किया जाएगा, जिसका प्रधानाचार्य द्वारा नियमित रूप से अवलोकन कर, दिये गये सुझाव एवं शिकायतों पर कार्यवाही की जाएगी, कृत कार्यवाही की अंकना इस पंजिका में भी जाएगी और विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की मासिक बैठक में इस पंजिका को रखा जाएगा।

पूर्व क्रिया–कलाप (Pre Project Activity)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्री–प्रौजेक्ट गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को रू0 173.34 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गई। जिसमें केंद्रांश रू0 130.00 लाख एवं राज्यांश रू0 43.34 लाख था। धनराशि निम्न विवरणानुसार जिलों को अवमुक्त की गई –

क्र0सं0	जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	पौड़ी गढ़वाल	15.21
2	रूद्रप्रयाग	11.00
3	चमोली	12.86
4	टिहरी	13.49
5	उत्तरकाशी	11.66
6	देहरादून	12.04
7	हरिद्वार	11.14
8	ऊधमसिंह नगर	11.78
9	नैनीताल	12.69
10	अल्मोड़ा	13.80
11	बागेश्वर	10.80
12	चम्पावत	10.99
13	पिथौरागढ़	12.64
14	राज्य कार्यालय	13.24
महायोग		**173.34**

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2009–10 (AWP&B 2009-10)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वर्ष 2009–10 के वार्षिक प्लान में भारत सरकार द्वारा लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को रू0 5715.39 लाख की धनराशि स्वीकृत प्राप्त हुई है। इसमें केंद्रांश रू0 4286.55 लाख एवं राज्यांश रू0 1428.84 लाख है। धनराशि निम्न विवरणानुसार स्वीकृत की गई है –

क्र0 सं0	मद का नाम	स्वीकृत		
		भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	वित्तीय (लाख में)
1	(क) नए माध्यमिक विद्यालय	7	58.12	406.84
	(ख) नए माध्यमिक विद्यालय	16	46.86	749.76
योग		**23**		**1156.60**
पूर्व से संचालित विद्यालयों हेतु				
2	कक्षा–कक्ष	137	5.63	771.31
3	विज्ञान प्रयोगशाला	75	6.10	457.50
4	प्रयोगशाला उपकरण	808	1.00	808.00
5	कम्प्यूटर कक्ष	55	5.00	275.00
6	कला/क्राफ्ट कक्ष	41	5.00	205.00
7	पुस्तकालय	69	7.00	483.00
8	शौचालय एवं पेयजल	202	1.50	303.00
9	विद्यालय अनुदान	1760	0.40	704.00
10	लघु मरम्मत	1730	0.25	432.50
11	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	3502	0.01	35.02
12	प्रबंधकीय व्यय		1.5%	84.46
कुल				**5715.39**
केंद्रांश (Central Share)			**75 %**	**4286.55**
राज्यांश (State Share)			**25%**	**1428.84**

मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

शासकीय स्तर	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली.नं0 / ई–मेल
1) मुख्यालय	राज्य परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद,ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून	2780422 rmsauk@gmail.com
हरिद्वार	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) हरिद्वार	जिला परियोजना कार्यालय (**RMSA**) कनखल, हरिद्वार	01334-246113 rmsahari@gmail.com
चम्पावत	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) चम्पावत	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत	05965–230531 rmsachamp@gmail.com
रूद्रप्रयाग	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) रूद्रप्रयाग	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग	01364–233246 rmsarudra@gmail.com
बागेश्वर	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) बागेश्वर	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर	05963–220417 rmsabage@gmail.com
नैनीताल	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भीमताल, नैनीताल	05942–248469 rmsanaini@gmail.com
पिथौरागढ़	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) पिथौरागढ़	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	05964–225227 rmsapitho@gmail.com
अल्मोड़ा	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) अल्मोड़ा	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा	05962–230074 rmsaalmo@gmail.com
ऊधमसिंह नगर	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) ऊधमसिंहनगर	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	05944–250054 rmsausnag@gmail.com
पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी **(RMSA)** पौड़ी	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** शिक्षा संकुल, पौड़ी	01368–221789 rmsapauri@gmail.com
टिहरी	जिला परियोजना अधिकारी **(RMSA)** टिहरी	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** शिक्षा संकुल, नरेन्द्रनगर	01378–227244 rmsatehri@gmail.com
चमोली	जिला परियोजना अधिकारी (**(RMSA)** चमोली	जिला परियोजना कार्यालय (शिक्षा संकुल) **(RMSA),** गोपेश्वर, चमोली	01372–252944 rmsachamo@gmail.com

उत्तरकाशी	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) उत्तरकाशी	जिला परियोजना कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, **(RMSA),** उत्तरकाशी	01374–222122 rmsautta@gmail.com
देहरादून	जिला परियोजना अधिकारी (**RMSA**) देहरादून	जिला परियोजना कार्यालय **(RMSA),** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	9410101851 rmsadehra@gmail.com

संख्या 2312 पत्रावली सं0– 24695D दिनांक 21-2-09

सोसाइटी–रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 422/2008 - 2009

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, पताः विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून को आज उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण–पत्र 06-02-2014 तक विद्यिमान्य होगा।

आज दिनांक 07-02-2009 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड

(E). राज्य शैक्षिक प्रबन्धन, प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

परिचय

21 वीं सदी में शिक्षा की आवश्यकता एवं व्यवस्था के लिए विद्यमान चुनौतियों एवं अवसरों के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति (NEP-1986) में व्यक्त लक्ष्य एवं कार्यक्रमों की प्राप्ति हेतु राज्यों में ऐसे शीर्ष प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों की आवश्यकता महसूस की गई जो शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में नियोजकों, प्रशासकों, पर्यवेक्षकों तथा सहयोगी अभिकर्मियों का सतत् क्षमता संवर्द्धन कर सके। देश के कुछ राज्यों में 'सीमैट' की स्थापना इसी क्रम में की गई है। उत्तराखण्ड में आरम्भिक रूप से 'सीमैट' भारत सरकार द्वारा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान मिशन के अन्तर्गत तीन करोड़ की एक मुश्त सहायता से स्थापित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) के पत्रांक 492/XXIV(1)/2005 दिनांक 29 सितम्बर, 2005 के द्वारा राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्थापना की गई है। शैक्षिक नीति, नियोजन व प्रबन्धन के क्षेत्र में नियोजकों, प्रशासकों, पर्यवेक्षकों एवं सहयोगी अभिकर्मियों का प्रशिक्षण, शोध एवं मूल्यांकन, सुझाव तथा प्रसार कार्यों के माध्यम से क्षमता संवर्धन करने हेतु 'सीमैट' की स्थापना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।

सीमैट द्वारा निम्नवत् कार्यों का सम्पादन किया गया हैं -

सीमैट द्वारा सम्पादित कार्य

कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ –

- सीमैट की स्वायत्तता, मानव संसाधनों की आवश्यकता तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण हेतु दिनांक 21 मार्च, 2009 को सीमैट द्वारा आयोजित परामर्शक समूह की बैठक/सेमिनार में विभिन्न शिक्षाविदों, ख्याति प्राप्त प्रशासकों, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् (एन0सी0ई0आर0टी0), एजुकेशनल कन्सलटेंसी ऑफ इंडिया ऐजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (न्यूपा, नई दिल्ली), नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्शन रिसर्च (एन0आई0ए0आर0) तथा अन्य राज्यों के सीमैट के शिक्षाविदों, प्रशासकों व अन्य संस्थानों के विद्वतजनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सेमिनार में सीमैट की स्थापना व प्रस्तावित ढांचे, स्वायत्तता, कार्यक्षेत्र के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय परामर्शक समूह की बैठक का आयोजन **(दिनांक 21 मार्च, 2009)**
- विद्यालय कोटिकरण हेतु टूल संशोधन कार्यशाला का आयोजन–**(प्रथम कार्यशाला दिनांक 26 फरवरी, 2009)**
- विद्यालय कोटिकरण हेतु टूल (Tool) संशोधन कार्यशाला का आयोजन–**(द्वितीय कार्यशाला, दिनांक 28 फरवरी, 2009)**
- बी0ई0ओ0, डिप्टी बी0ई0ओ0, प्रधानाचार्य, बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 समन्वयकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान हेतु प्रश्नावली/प्रपत्र तथा कार्ययोजना का निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला–**(दिनांक 23 मार्च, 2009 से 28 मार्च, 2009 तक)**
- राज्य के समस्त जिलों के विभिन्न शैक्षिक अभिकर्मियों (प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापक, बी0आर0सी0 /सी0आर0सी0, बी0ई0ओ0/ ए0डी0ई0ओ0) की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान (Training Need Assessment) हेतु समस्त जनपदों

के चयनित शिक्षाकर्मियों की कार्यशालाओं का आयोजन–**(दिनांक 25–30 अप्रैल, 2009)**

- डी0आर0सी0, रतूड़ा–जनपद रूद्रपयाग, चमोली, व पोड़ी।
- डायट देहरादून– जनपद देहरादून, हरिद्वार, टिहरी व उत्तरकाशी।
- डायट भीमताल– जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर।
- डायट डीडीहाट– जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर व चम्पावत।

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण कार्यशाला **(दिनांक 4–8 मई, 2009)** सीमैट, देहरादून।
- शिक्षण मॉड्यूल निर्माण कार्यशाला– **दिनांक 3 जून, 2009 से 8 जून 2009** तक, आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, रायपुर, देहरादून।
- प्रशिक्षण माड्यूल संवर्द्धन कार्यशाला– **दिनांक 06 जुलाई, 2009 से 8 जुलाई, 2009** तक आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, देहरादून।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला–दिनांक **17 अगस्त, 2009,** सीमैट, देहरादून।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वार्षिक कार्ययोजना एवं निर्माण कार्यशाला–**दिनांक 18 सितम्बर, 2009 से 23 अगस्त, 2009** तक सीमैट, देहरादून।
- मध्याह्न भोजन योजना प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण कार्यशाला– **दिनांक 29 अगस्त, 2009 से 25 अगस्त, 2009** तक सीमैट, देहरादून।
- कक्षा–5 व कक्षा–8 के बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर सम्बन्धी शोध उपकरण निर्माण कार्यशाला **दिनांक 28 अगस्त, 2009 सीमैट, देहरादून।**
- बी0ई0ओ0 व बी0आर0सी0 समन्वयक मुख्य प्रशिक्षण अभिमुखीकरण कार्यशाला **दिनांक 31 अगस्त, 2009 से 01 सितम्बर, 2009** तक आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, रायपुर देहरादून।
- प्रशिक्षण साहित्य संवर्द्धन कार्यशाला– **दिनांक 8 मार्च, 2010 से 12 मार्च, 2010 सीमैट, देहरादून।**
- डायट प्राचार्यों के प्रशिक्षण साहित्य निर्माण कार्यशाला – **14–20 सितम्बर, 2010**

प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन :– सीमैट द्वारा राज्य के शैक्षिक प्रशासकों तथा नियोजकों के लिए प्रथम बार निम्नवत् प्रशिक्षण आयोजित किए गये–

5– प्रशिक्षण आयोजन (Training Organized)–

क्र.सं.	प्रशिक्षण	दिनांक	कुल प्रतिभागी
1	बी0ई0ओ0 / बी0आर0सी0 मास्टर ट्रैनर प्रशिक्षण	31 अगस्त, 2009 से 01 सितम्बर 2009	26
2	बी0आर0सी0 समन्वयक प्रशिक्षण	02 सितम्बर, 2009 से 07 सितम्बर, 2009	40
3	बी0ई0ओ0 प्रशिक्षण	02 सितम्बर, 2009 से 07 सितम्बर, 2009	33
4	प्रधानाचार्य मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण	28 दिसम्बर, 2009	15
5	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण	29 दिसम्बर, 2009 से 03 जनवरी, 2010	42
6	सी0आर0सी0 मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण (कुमायूं मण्डल)	19 जनवरी, 2010 से 24	52

		जनवरी, 2010	
7	उपखण्ड शिक्षाअधिकारी मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण	10 फरवरी, 2010 से 24 जनवरी, 2010	15
8	उपखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण	15 फरवरी, 2010 से 20 फरवरी, 2010	44
9	सी0आर0सी0 मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण गढ़वाल मण्डल	15 मार्च, 2010 से 20 मार्च, 2010	63
10	खण्ड शिक्षा अधिकारियो का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अभिमुखीकरण प्रशिक्षण।	28–30 सितम्बर, 2010	
11	उप–प्रधानाचार्यों का प्रशासनिक एवं अकादमिक क्षमता संवंर्द्धन प्रशिक्षण।	4–8 अक्टूबर, 2010	32
12	खण्ड शिक्षा अधिकारियों का प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्धन क्षमता संवंर्द्धन प्रशिक्षण। **(प्रथम चरण)**	11–16 अक्टूबर, 2010	28
13	प्रधानाचार्य मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण	25–30 अक्टूबर, 2010	38
14	उपखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण	22–26 नवम्बर, 2010	35
15	प्रधानाचार्य मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण	06–11 दिसम्बर, 2010	32
16	आर0एम0एस0ए0 द्वारा आयोजित मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण	11–15 जनवरी, 2011	37
17	प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य सहायक प्रशिक्षण	24–28 जनवरी, 2011	48
18	आर0एम0एस0ए0 द्वारा आयोजित मास्टर ट्रैनर्स प्रशिक्षण	01–05 फरवरी, 2011	38
19	मुख्य सहायक/प्रवर सहायक प्रशिक्षण	14–17 मार्च, 2011	25

नियोजन एवं अप्रैजल कार्य :–

- सीमैट की वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्ययोजना निर्माण का जनपद स्तर पर निर्माण–**(अक्टूबर, 2008–सितम्बर, 2008)**
- सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड– जनपदीय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण **(वर्ष–2009–10)**
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड– जनपदीय ''क्विक इण्डिकेटिव प्लान'' निर्माण **(वर्ष– 2009–10)**
- सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2009–10 का वार्षिक कार्ययोजना आन्तरिक अप्रैजल।
- सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण **(वर्ष 2010–11)** का जनपदवार निर्माण (राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से) **(दिसम्बर, 2009 से जनवरी, 2009)**
- सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण का आन्तरिक अप्रैजल **फरवरी– 2010**
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पर्सपैक्टिव प्लान **(वर्ष– 2009–15 तक)** जनपदीय पर्सपैक्टिव प्लान निर्माण, (राज्य परियोजना कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के सहयोग से)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट, 2010–11 का आंतरिक अप्रैजल– **अगस्त, 2010**

शोध एवं मूल्यांकन :–

- 5% डायस डाटा सत्यापन अध्ययन की अंतरिम आख्या का प्रस्तुतीकरण–**13 अगस्त, 2010**

- वर्ष 2009–10 के शोध कार्यों के उपकरणों हेतु परीक्षण कार्यशाला– **20–21 सितम्बर, 2010**
- राज्य स्तरीय शोध समिति की बैठक का आयोजन– **दिनांक 14–15 अक्टूबर, 2010** राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान देहरादून।
- सीमैट द्वारा निर्देशित शोध कार्यः–
    - **Achievement level of student studying in Class 5 in subject language Maths and Class 8 in subject language, Maths, Science and EVS.**
    - **Assessment & Impact of the input given for CWSN under the SSA.**
    - **Impact of in-service teacher training programme under SSA on teacher classrooms transition and perception of teacher about the effectiveness of teacher training.**
    - **Assessment of Educational status regarding enrolment retention and achievement level of minority children and strategies according to their educational needs.**
- वर्ष 2009–10 में किए जा रहे शोध कार्य :–
    - **A study on the motivational level of teacher's at Elementary level.**
    - **A study on accountability of teacher.**
    - **A study on the effectiveness of academic support given by BRC's at Elementary level.**
    - **A study on achievement level of EGS mainstreamed children.**
    - **A study on identification of reasons for decline in girls enrolment and corrective measures in PS&UPS of Uttarakhand.**
- वर्ष 2010–11 में किए जा रहे शोध कार्य :–
    1. **5% Sample Checking of DISE Data.**
    2. **Impact of SSA activities on quality improvement through third party evaluation.**
    3. **5% Random checking of CWSN.**
    4. **To Study the discriminatory practices in the elementary schools and its impact on their enrollment, retention, attendance and achievement.**
    5. **A study on tracking of Out-of-School children in Haridwar, US Nagar and Nainital.**
    6. **To study the status of EGS centres in Uttarakhand.**
- **ई0एम0आई0एस0, डायस व सैमिस डाटा शेयरिंग एवं विश्लेषण :–**
- वर्ष 2007–08 डायस डाटा सैम्पल सर्वे निष्कर्षों की शेयरिंग।
- वर्ष 2008–09 डायस प्रपत्र में आकड़ों का संकलन भरने व जनपदों में सैम्पल चैकिंग(रा0प0का0, सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से)।
- वर्ष 2008–09 डायस सैम्पल सर्वे निष्कर्षों की शेयरिंग।
- शैक्षिक विकास सूचकांक(EDI) के सम्बर्द्धन हेतु जनपदीय एवं विकास खण्ड स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण। (रा0प0का0, सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से)

- वर्ष 2009–10 सेमिस डाटा संकलन व जनपदवार सैम्पल चैकिंग (रा0प0का0, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहयोग से) तथा विश्लेषण।

प्रकाशन एवं सम्पादन :–

- **''सीमैट'' संकल्पना, उद्देश्य व कार्यक्षेत्र फोल्डर का प्रकाशन।**
- **बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयक प्रशिक्षण संदर्शिका ''प्रयास''**
- **खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षाधिकारी प्रशिक्षण संदर्शिका– ''प्रयाण''**
- **प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संदर्शिका – ''प्रबोध''**
- **संस्थान प्रत्रिका (प्रथम अंक) – ''नवोन्मेष''**
- **संस्थान प्रत्रिका ''नवोन्मेष'' का द्वितीय अंक 'प्रतिबिम्ब' के नाम से प्रकाशित।**
- **डायट प्राचार्यों का प्रशिक्षण माड्यूल निर्माण– ''प्रवीण''**

पुनः प्रकाशन :–

- **खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षाधिकारी प्रशिक्षण संदर्शिका– ''प्रयाण''**
- **प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संदर्शिका – ''प्रबोध''**

अनुश्रवण :–

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों का अनुश्रवण

अन्य महत्वपूर्ण कार्य :–

- सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रमों में प्रतिभाग एवं सहयोग।
- बी0टी0सी0 प्रशिक्षण माड्यूल निर्माण में सहयोग।
- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण में सहयोग।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रदेश स्तरीय **विनियमावली के आलेख विकास में सहयोग।**
- सूचना तकनीकी (शिक्षा) प्रकोष्ठ की स्थापना में सहयोग।

भावी कार्यक्रम :–

1– वर्ष– 2010–11 के निम्न शोध कार्यों का निष्पादन

7. **5% Sample checking of DISE data 2010-11**
8. **5% Sample checking of identification of CWSN**
9. **Different form of discriminatory practice in school and its impact on enrollment, retention and learning in school.**
10. **Impact of SSA activities on quality improvement through third party evaluation.**
11. **Tracking/study on out of school children in 6 to 14 years age group in selected area in Haridwar, Us Nagar, Dehradun and Nainital.**
12. **To assess the reason of low achievement level in Hindi, English and Maths at elementary level.**
13. **Third party evaluation of civil work.**

2– प्रतिबिम्ब के आगामी अंको का प्रकाशन।

3– सीमैट भवन में आवासीय प्रशिक्षणों का संचालन।

4– विभिन्न शिक्षा अधिकारियों, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान तथा विभागीय अभिकर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(F). राज्य साक्षरता संसाधन केन्द्र (रूलक), राजपुर रोड़, देहरादून।

मानव संसाधन विभाग उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक / 2730 / मा0स0वि0

राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड में साक्षरता कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों का संचालन 'उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद' के अन्तर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उत्तररांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद' वे सभी कार्य सम्पादित करेगी जो राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (स्टेट लिटरेसी मिशन अथौरिटी) द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय पक्ष का संचालन 'उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद' की वित्तीय समिति द्वारा तथा कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन 'उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद' की कार्यक्रम समिति द्वारा किया जायेगा।

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद साक्षरता से संबंधित निम्न कार्यक्रमों का संचालन करेगी –

1. नेशनल लिटरेसी मिशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करना।
2. साक्षरता कार्यक्रमों संलग्न कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, युवकों एवं छात्रों, विविध सेवायोजनाओं तथा अन्य संगठनों से साक्षरता कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
3. साक्षरता कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से जन सम्पर्क माध्यमों एवं प्रचार–प्रसार के कार्यक्रमों को निर्धारित करना।
4. संसाधनों का विकास(रिसोर्स डेवलपमेन्ट) विशेषतः साक्षरता / उत्तर साक्षरता हेतु पाठ्यक्रम पठन पाठन साहित्य का निर्माण, मुद्रण, वितरण एवं आयोजन के लिए निर्देश देना।
5. महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा से लाभान्वित कराने के लिए इस कार्यक्रम के संबंध में निर्देश देना।
6. नवसाक्षरों के लिए उपयुक्त साहित्य का सृजन तथा प्रसार एवं विचार गोष्ठियों व कर्मचारी दलों का गठन एवं शिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना।
7. कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित शासन के विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।
8. नेशनल लिटरेसी मिशन अथारिटी एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों की धनराशि की वित्तीय नियोजन एवं प्रशासन नेशनल लिटरेसी मिशन अथौरिटी के निर्देशानुसार करना।
9. नेशनल लिटरेशी मिशन अथारिटी की नीति के अनुसार राज्य प्राधिकरण के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिक प्रबन्ध करना।

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् की वित्तीय समिति तथा कार्यक्रम समिति निम्नवत गठित

वित्तीय समिति–

1.	सचिव वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2.	सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	–	सदस्य
3.	सचिव ग्राम्य विकास अथवा उनके द्वारा नामित एक अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से कम न हो	–	सदस्य
4.	अपर सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	–	सदस्य
5.	अपर शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून	–	सदस्य
6.	राज्य परियोजना निदेशक एवं शिक्षा निदेशक	–	सदस्य सचिव

कार्यक्रम समिति–

1.	सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	–	अध्यक्ष
2.	सचिव वित्त एवं नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित एक अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से कम न हो	–	सदस्य

3.	सचिव, ग्राम्य विकास अथवा उनके द्वारा नामित एक अधिकारी जो अपर सचिव स्तर से कम न हो	–	सदस्य
4.	शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी	–	सदस्य
5.	अपर सचिव, शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	–	सदस्य
6.	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
7.	उत्तराखण्ड में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एक महिला कार्यकर्ता जो कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित हो (एक वर्ष के लिए)	–	सदस्य
8.	अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित एक शिक्षाविद(एक वर्ष के लिए)		सदस्य
9.	टैक्निकल रिसोर्स सपोर्ट के एक निदेशक, अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित (एक वर्ष के लिए)	–	सदस्य
10.	उत्तराखण्ड में शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्था का का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष कार्यकारिणी द्वारा नामित(एक वर्ष के लिए)		सदस्य
11.	निदेशक राज्य संसाधन केन्द्र, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
12.	निदेशक युवा कल्याण, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
13.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
14.	अपर शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून	–	सदस्य
15.	शिक्षा निदेशक/राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड	–	सदस्य/सचिव

उक्त कार्य हेतु राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक साक्षरता प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

(एन0रविशंकर)
सचिव शिक्षा

(G). राज्य महिला समाख्या समिति।